



SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

वर्ष 2023-24 के लिए
राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन
अधिनियम, 2003 के अनुपालन
पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन

संघ सरकार
आर्थिक कार्य विभाग
(वित्त मंत्रालय)
2025 की प्रतिवेदन संख्या 19

वर्ष 2023-24 के लिए
राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन
अधिनियम, 2003 के अनुपालन
पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन

संघ सरकार
आर्थिक कार्य विभाग
(वित्त मंत्रालय)
2025 की प्रतिवेदन संख्या 19

विषयवस्तु

शीर्षक	पृष्ठ सं.
प्रस्तावना	v
कार्यकारी सारांश	vii
अध्याय 1: परिचय	1
अध्याय 2: एफआरबीएम लक्ष्य और उपलब्धियाँ	7
अध्याय 3: प्रकटीकरण और पारदर्शिता	27
अनुलग्नक	37
शब्दावली	51

प्रस्तावना

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) को राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम 2003 की धारा 7ए के अंतर्गत बनाए गए नियम 8 के अनुसार, एफआरबीएम अधिनियम 2003 के प्रावधानों के अनुपालन की वार्षिक समीक्षा करने तथा वित्तीय वर्ष 2014-15 से ऐसी समीक्षा संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी।

यह मार्च 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए केंद्र सरकार द्वारा अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुपालन पर सीएजी का नौवां प्रतिवेदन है। प्रतिवेदन एफआरबीएम लक्ष्यों की तुलना में उपलब्धियों की जांच करता है और राजकोषीय नीतिगत विवरणों में किए गए अनुमानों और प्रकटीकरण विवरणों में जानकारी की पर्याप्तता के साथ वास्तविकता की तुलना करता है।

प्रतिवेदन में अधिनियम और नियमों के प्रावधानों के अनुपालन की समीक्षा से प्राप्त निष्कर्ष शामिल हैं। इस प्रतिवेदन में उल्लिखित उदाहरण वे हैं जो वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए नमूना लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में आए। वित्तीय वर्ष 2023-24 से पहले की अवधि से संबंधित मामले, जिनका राजकोषीय संकेतकों पर प्रभाव पड़ता है, को भी प्रासंगिक रूप से शामिल किया गया है।

कार्यकारी सारांश

कार्यकारी सारांश

राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 को केन्द्र सरकार के घाटे और उसके परिणामस्वरूप ऋण को मध्यम अवधि में एक स्थायी स्तर तक कम करने के लिए एक विधायी ढांचा प्रदान करने के उद्देश्य से अधिनियमित किया गया था, ताकि राजकोषीय प्रबंधन में अंतर-पीढ़ीगत समानता और दीर्घकालिक वृहद-आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित की जा सके।

वर्तमान प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए केंद्र सरकार द्वारा राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) द्वारा की गई वार्षिक समीक्षा है।

2018 में एक संशोधन के माध्यम से, केंद्र सरकार के ऋण और सामान्य सरकारी ऋण में कमी का लक्ष्य सात वर्षों की अवधि में प्राप्त किया जाना था। लक्ष्य वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंत तक सामान्य सरकारी ऋण को सकल घरेलू उत्पाद के 60 प्रतिशत और केंद्र सरकार के ऋण को सकल घरेलू उत्पाद के 40 प्रतिशत तक सीमित करना है।

हमारी समीक्षा से पता चला है कि पिछले दो वर्षों में सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में केंद्र सरकार का ऋण लगातार कम होकर वित्तीय वर्ष 2023-24 के अंत तक 57.00 प्रतिशत हो गया है। हालांकि, ऋण में पिछले वर्ष की तुलना में ₹15.58 लाख करोड़ या 9.98 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जिसका मुख्य कारण आंतरिक ऋण का संचय है।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के अंत में, कथित तौर पर करों के रूप में ₹31.11 लाख करोड़ की राशि जुटाई गई थी, लेकिन अभी तक इसकी वसूली नहीं हुई है (विवरण डी1 कर जुटाया गया लेकिन वसूल नहीं हुआ)। इस अप्राप्त राशि में पिछले वर्ष की तुलना में ₹9.81 लाख करोड़ की वृद्धि दर्ज की गई, जिसमें से ₹6.63 लाख करोड़ अविवादित थे। डी2 विवरण (ब्याज का बकाया) में कुछ पारदर्शिता के मुद्दे देखे गए, जहां आंकड़े संघ सरकार के वित्त लेखों के आंकड़ों से भिन्न थे। साथ ही, डी4 विवरण में बताई गई वित्तीय परिसंपत्तियों (विदेशी सरकार और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ऋण) की राशि, प्राप्त बजट में भिन्न थी। अंत में, हमने वार्षिक वित्तीय

विवरण 2023-24 से अर्धवार्षिक विवरणों (एच1, एच2) और मध्यम अवधि के राजकोषीय नीतिगत विवरण में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न राजकोषीय मापदंडों के बजट अनुमान के आंकड़ों में भिन्नताएं पाईं।

अध्याय

1

परिचय

अध्याय

1

परिचय

1.1 एफआरबीएम अधिनियम

राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम, 2003, 26 अगस्त, 2003 को पारित किया गया था। यह अधिनियम और इसके नियम 5 जुलाई, 2004 को लागू हुए। 2003 से, मूल अधिनियम में चार बार संशोधन किया गया है: 2004, 2012, 2015 और 2018 में। **अनुलग्नक 1.1** में 2003 से अब तक मूल अधिनियम और नियमों में किए गए संशोधनों का सारांश दिया गया है।

इस अधिनियम का उद्देश्य दीर्घकालिक वृहद आर्थिक स्थिरता और अंतर-पीढ़ीगत समानता को बढ़ावा देना है। एफआरबीएम संशोधन अधिनियम, 2018 में निर्दिष्ट और वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए प्रासंगिक लक्ष्य निम्नलिखित हैं:

केंद्र सरकार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के अंत तक यह सुनिश्चित करेगी कि:

- ❖ सामान्य सरकारी ऋण सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 60 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।

[धारा 4(1)]

“सामान्य सरकारी ऋण” को अंतर-सरकारी देनदारियों¹ को छोड़कर, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों² के ऋण के कुल योग के रूप में परिभाषित किया गया है।

- ❖ केन्द्र सरकार का ऋण सकल घरेलू उत्पाद के 40 प्रतिशत से अधिक न हो।

[धारा 4(1)]

- ❖ किसी भी वित्तीय वर्ष में भारत की संचित निधि की सुरक्षा जमा पर किसी भी ऋण के संबंध में सकल घरेलू उत्पाद के डेढ़ प्रतिशत से अधिक अतिरिक्त गारंटी न देना।

[धारा 4(1)]

¹ सरकार, राज्य और संघ एक दूसरे के प्रति क्या दायित्व रखते हैं।

² भारतीय संविधान के अनुच्छेद 293(3) के तहत, "कोई राज्य भारत सरकार की सहमति के बिना कोई ऋण नहीं ले सकता है, यदि भारत सरकार या उसकी पूर्ववर्ती सरकार द्वारा राज्य को दिए गए ऋण का कोई हिस्सा अभी भी बकाया है या जिसके संबंध में भारत सरकार या उसकी पूर्ववर्ती सरकार द्वारा गारंटी दी गई है"। तदनुसार, भारत सरकार निर्धारित मापदंडों के आधार पर प्रत्येक राज्य सरकार के लिए ऋण की वार्षिक सीमा निर्धारित करती है।

- ❖ वित्त मंत्री अर्ध-वार्षिक आधार पर बजट के संबंध में प्राप्तियों और व्यय की प्रवृत्तियों की समीक्षा करेंगे तथा ऐसी समीक्षाओं के परिणाम संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखेंगे।

[धारा 7(1)]

- ❖ यदि अर्धवार्षिक समीक्षा (अर्थात् सितंबर के अंत में) के परिणाम से पता चलता है कि (i) कुल गैर-ऋण प्राप्तियां बजट अनुमानों (बीई) के 40 प्रतिशत से कम हैं, और (ii) राजस्व घाटा (आरडी)³ और राजकोषीय घाटा (एफडी)⁴ वर्ष के लिए बजट अनुमान के 70 प्रतिशत से अधिक है, तो वित्त मंत्री पहली छमाही के अंत के तुरंत बाद सत्र के दौरान संसद में एक विवरण देंगे जिसमें सुधारात्मक उपायों का ब्यौरा दिया जाएगा।

[नियम 7]

वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए, संसद के दोनों सदनों के समक्ष मध्य-वर्षीय (अर्थात् सितंबर के अंत में) समीक्षा प्रस्तुत की गई। एच1 विवरण में प्रस्तुत विस्तृत परिणाम **अनुलग्नक 1.2** में दिया गया है।

- ❖ केंद्र सरकार 31 मार्च 2021 तक राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के तीन प्रतिशत तक कम करेगी। हालांकि, अधिनियम में कोई और संशोधन न होने के कारण, सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 तक सकल घरेलू उत्पाद के 4.5 प्रतिशत से कम राजकोषीय घाटे के स्तर को प्राप्त करने के लिए राजकोषीय समेकन के एक व्यापक मार्ग का अनुसरण करने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की है, जैसा कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट भाषण में पेश किया गया और वित्तीय वर्ष 2023-24 और वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए मध्यावधि राजकोषीय नीतिगत (एमटीएफपी) विवरणों में भी दोहराया गया है। सरकार ने एमटीएफपी 2025-26 में कहा कि देश वित्तीय वर्ष 2025-26 में राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद अनुपात में 4.5 प्रतिशत से नीचे लाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

³ "राजस्व घाटा" से तात्पर्य राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्तियों के बीच के अंतर से है।

⁴ "राजकोषीय घाटा" से तात्पर्य भारत की समेकित निधि से एक वित्तीय वर्ष के दौरान निधि में कुल प्राप्तियों पर कुल संवितरण के आधिक्य से है, जिसमें ऋण प्राप्तियां और ऋण अदायगी शामिल नहीं हैं।

1.2 एफआरबीएम अधिनियम और नियमों के तहत निर्धारित अन्य दायित्व

केन्द्र सरकार संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष निम्नलिखित बातें रखेगी:

- ❖ मध्यम-अवधि राजकोषीय नीति सह राजकोषीय नीति रणनीति (एमटीएफपी सह एफपी) विवरण (फॉर्म एफ1 में):

इस विवरण में राजकोषीय संकेतकों के लिए तीन साल का रोलिंग लक्ष्य शामिल है। राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा और प्राथमिक घाटा⁵, कर राजस्व और सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में केंद्र सरकार का ऋण।

- ❖ वृहद आर्थिक ढांचा विवरण (फॉर्म एफ2 में) - एमईएफ विवरण :

वृहद आर्थिक ढांचा विवरण में अंतर्निहित मान्यताओं के विनिर्देश के साथ अर्थव्यवस्था की विकास संभावनाओं का आकलन शामिल होगा।

- ❖ मध्यम-अवधि व्यय रूपरेखा (एमटीईएफ) विवरण (फॉर्म एफ3 में):

यह विवरण (निर्धारित फॉर्म एफ 3 में) अंतर्निहित मान्यताओं और जोखिमों के साथ-साथ निर्धारित व्यय संकेतकों के लिए तीन साल का रोलिंग लक्ष्य प्रदान करता है। वित्तीय वर्ष 2018-19 को छोड़कर, सरकार इस विवरण को संसद के समक्ष प्रस्तुत नहीं कर रही है। इस तथ्य को सरकार ने एमटीएफपी 2024-25 में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए स्वीकार किया था। सरकार ने एमटीईएफ 2024-25 में कहा कि वित्तीय वर्ष 2024-25 का बजट ऐसे समय में पेश किया गया है जब वैश्विक अनिश्चितता बनी हुई है और नई भू-राजनीतिक चुनौतियां सामने आ रही हैं। इसलिए, सरकार एमटीईएफ 2023-24 को पेश करने में असमर्थ रही, क्योंकि उसका तर्क था कि "उभरती चुनौतियों का प्रभावी ढंग से सामना करने के लिए आवश्यक राजकोषीय लचीलापन बनाए रखने के लिए" ऐसा किया गया था।

⁵ "प्राथमिक घाटा" का अर्थ है राजकोषीय घाटा में से ब्याज भुगतान को घटाकर प्राप्त राशि।

- ❖ केन्द्र सरकार कुछ विशेष⁶ परिस्थितियों को छोड़कर भारतीय रिज़र्व बैंक से ऋण नहीं लेगी।

[धारा 5(1)]

- ❖ केन्द्र सरकार अपने लेखों का मासिक विवरण तैयार करेगी।

[धारा 7(1ए)]

- ❖ बजट के साथ संसद में रखे जाने वाले नियमों में कर राजस्व, गैर-कर राजस्व, गारंटी, परिसंपत्ति रजिस्टर और वार्षिकी परियोजनाओं पर देयता के संबंध में पांच प्रकटीकरण फॉर्म (डी-1 से डी-5)⁷ निर्धारित किए गए हैं।

[नियम 6]

1.3 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र और अधिदेश

धारा 7⁸ (2018 संशोधन अधिनियम) को एफआरबीएम अधिनियम, 2003 के नियम 8 के साथ पढ़ा जाए, तो उसके अनुसार वित्तीय वर्ष 2014-15 से भारत के सीएजी को अधिनियम के प्रावधानों और केंद्र सरकार द्वारा इसके तहत बनाए गए नियमों के अनुपालन की वार्षिक समीक्षा करने का अधिकार है। समीक्षा में निम्नलिखित शामिल होंगे:

⁶ केंद्र सरकार किसी भी वित्तीय वर्ष के दौरान नकद प्राप्तियों पर नकद संवितरण की अस्थायी अधिकता को पूरा करने के लिए, उस सरकार द्वारा रिज़र्व बैंक के साथ किए गए समझौतों के अनुसार, रिज़र्व बैंक से अग्रिम के रूप में उधार ले सकती है: बशर्ते कि किसी भी वित्तीय वर्ष में नकद प्राप्तियों पर नकद संवितरण की अस्थायी अधिकता को पूरा करने के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा दिए गए किसी भी अग्रिम का भुगतान भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 17 की उप-धारा (5) में निहित प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।

रिज़र्व बैंक राष्ट्रीय सुरक्षा, युद्ध की कार्रवाई, राष्ट्रीय आपदा, कृषि उत्पादन और आय को गंभीर रूप से प्रभावित करने वाली कृषि की बर्बादी, अप्रत्याशित राजकोषीय प्रभावों के साथ अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक सुधार, किसी तिमाही की वास्तविक उत्पादन वृद्धि में पिछली चार तिमाहियों के औसत से कम से कम तीन प्रतिशत अंकों की गिरावट के आधार या आधारों पर केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों के प्राथमिक निर्गमों में निवेश कर सकता है।

रिज़र्व बैंक द्वितीय बाजार में केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों को खरीद और बेच सकता है या अपने पास मौजूद केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों को केन्द्र सरकार की अन्य प्रतिभूतियों के साथ परिवर्तित कर सकता है, जैसा कि रिज़र्व बैंक और केन्द्र सरकार के बीच पारस्परिक सहमति से हो।

⁷ प्रकटीकरण प्रपत्र (डी1) - जुटाया गया लेकिन वसूल नहीं किया गया कर राजस्व, (डी2) - गैर-कर राजस्व का बकाया, (डी3) - सरकार द्वारा दी गई गारंटी, (डी4) - परिसंपत्ति रजिस्टर और (डी5) - वार्षिकी परियोजनाओं पर देयता। ये प्रकटीकरण ऐसे डेटा प्रदान करते हैं जो गारंटी को छोड़कर वित्त लेखों (नकद आधार पर तैयार किए जा रहे) में दर्ज नहीं किए जाते हैं, लेकिन राजकोषीय संकेतकों के लिए प्रासंगिक हैं।

⁸ एफआरबीएम समीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करना - केन्द्र सरकार भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को आवश्यकतानुसार इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन की आवधिक समीक्षा करने का कार्य सौंप सकती है और ऐसी समीक्षाएं संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखी जाएंगी।

- ❖ अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों में निर्धारित लक्ष्यों और प्राथमिकताओं की उपलब्धि, अनुपालन का विश्लेषण, मध्यम अवधि राजकोषीय नीति सह राजकोषीय नीति रणनीति विवरण, वृहद आर्थिक ढांचा विवरण और मध्यम अवधि व्यय रूपरेखा विवरण।
- ❖ अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के संबंध में प्राप्तियों, व्यय और वृहद आर्थिक मापदंडों की प्रवृत्तियों का विश्लेषण।
- ❖ अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति पर प्रभाव डालने वाले राजस्व, व्यय, परिसंपत्तियों या देनदारियों के वर्गीकरण से संबंधित टिप्पणियां।
- ❖ केंद्र सरकार द्वारा अपने राजकोषीय परिचालनों में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए किए गए प्रकटीकरणों का विश्लेषण।

तदनुसार, सीएजी ने आठ (8) प्रतिवेदन तैयार किये हैं (तालिका 1.1)।

तालिका 1.1: संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत सीएजी के प्रतिवेदन

क्रम सं.	सीएजी प्रतिवेदन	वित्तीय वर्ष जिससे प्रतिवेदन संबंधित है
1	2016 की प्रतिवेदन संख्या 27	2014-15
2	2017 की प्रतिवेदन संख्या 32	2015-16
3	2018 की प्रतिवेदन संख्या 20	2016-17
4	2021 की प्रतिवेदन संख्या 6	2017-18 और 2018-19
5	2022 की प्रतिवेदन संख्या 18	2019-20
6	2022 की प्रतिवेदन संख्या 32	2020-21
7	2024 की प्रतिवेदन संख्या 1	2021-22
8	2025 की प्रतिवेदन संख्या 03	2022-23

1.4 लेखापरीक्षा पद्धति

यह समीक्षा मुख्य रूप से वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग द्वारा की गई थी, जो एफआरबीएम अधिनियम के प्रशासन के लिए नोडल विभाग है। यह प्रतिवेदन संघ सरकार के वित्त लेखा (यूजीएफए) 2023-24 और वित्तीय वर्ष 2021-22 से वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए क्रमिक बजट दस्तावेजों से प्राप्त आंकड़ों पर आधारित है। इसके अलावा, संबंधित वित्तीय वर्ष के लिए राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) द्वारा

जारी पीएसई के प्रमाणित वार्षिक लेखों और सकल घरेलू उत्पाद आंकड़ों का विश्लेषण के लिए उपयोग किया गया है।

मंत्रालय के साथ 24 मार्च 2025 को एक प्रारंभिक बैठक आयोजित की गई और 18 फरवरी से 11 अप्रैल 2025 के बीच क्षेत्रीय लेखापरीक्षा की गई। 02 जून 2025 को वित्त मंत्रालय को मसौदा प्रतिवेदन जारी किया गया और 25 जून 2025 को उसके उत्तर प्राप्त हुए, जिसके बाद 01 जुलाई 2025 को समापन बैठक में चर्चा की गई।

1.5 आभार

हम रिकॉर्ड उपलब्ध कराने तथा इस अनुपालन लेखापरीक्षा के संचालन में सुविधा प्रदान करने के लिए आर्थिक कार्य विभाग के सहयोग के लिए आभार व्यक्त करते हैं।

1.6 प्रतिवेदन की संरचना

वर्तमान प्रतिवेदन, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए केंद्र सरकार द्वारा अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन की जांच करने के लिए एफआरबीएम (संशोधन) नियम 2018 के नियम 8 के अनुसार भारत के सीएजी द्वारा की गई वार्षिक समीक्षा है।

अध्याय 1: एफआरबीएम अधिनियम और नियमों का परिचय और अधिदेश।

अध्याय 2: एफआरबीएम लक्ष्य और उपलब्धियाँ।

अध्याय 3: प्रकटीकरण और पारदर्शिता।

अध्याय

2

एफआरबीएम लक्ष्य और
उपलब्धियाँ

अध्याय

2

एफआरबीएम लक्ष्य और उपलब्धियाँ

2.1 केंद्र सरकार ऋण और सामान्य सरकारी ऋण

2018 में संशोधित एफआरबीएम अधिनियम में एक नई धारा 2 (एए) शामिल की, जिसमें किसी भी तिथि को केंद्र सरकार के ऋण की अवधारणा को परिभाषित किया गया, जिसमें शामिल हैं:



इसी तरह, धारा 2(बीबी) सामान्य सरकारी ऋण को “अंतर-सरकारी देयताओं को छोड़कर केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के ऋण का कुल योग,” के रूप में परिभाषित करती है। एफआरबीएम अधिनियम के तहत निर्धारित लक्ष्य वित्तीय वर्ष 2024-25 तक केंद्र सरकार के ऋण (सकल घरेलू उत्पाद के 40 प्रतिशत तक) और सामान्य सरकारी ऋण (सकल घरेलू उत्पाद के 60 प्रतिशत तक) को सीमित करना है।

2.1.1 केंद्र सरकार के ऋण का बकाया


(क) वित्तीय वर्ष 2020-21 से सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में केंद्र सरकार का ऋण लगातार कम हुआ है वित्तीय वर्ष 2019-20 से वित्तीय वर्ष 2023-24

⁹ लोक लेखा में भारत की संचित निधि में जमा धन के अलावा अन्य सभी लोक धन शामिल होते हैं, जो ट्रस्टी के रूप में भारत सरकार द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त होते हैं।

(अनुलग्नक 2.1) के बीच पांच वर्ष की अवधि में किए गए विश्लेषण से पता चला है कि सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत¹⁰ के रूप में केंद्र सरकार का ऋण पहले वित्तीय वर्ष 2020-21 में 61.38 प्रतिशत तक बढ़ गया, उसके बाद मार्च 2024 की समाप्ति तक लगातार घटकर सकल घरेलू उत्पाद का 57.00 प्रतिशत हो गया। निरपेक्ष रूप से केंद्र सरकार का ऋण वित्तीय वर्ष 2023-24 में वित्तीय वर्ष 2022-23 की तुलना में ₹15.58 लाख करोड़ या 9.98 प्रतिशत बढ़ा। यह मुख्य रूप से इस अवधि के दौरान ₹16.24 लाख करोड़ के आंतरिक ऋण में वृद्धि के कारण था। इसके अलावा, विदेशी ऋण (₹0.48 लाख करोड़ की वृद्धि) और लोक लेखा देयता (₹0.57 लाख करोड़ की वृद्धि) के मौजूदा मूल्य में भी वित्तीय वर्ष 2023-24 में वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि रही। वित्तीय वर्ष 2019-20 से वित्तीय वर्ष 2023-24 तक केंद्र सरकार के ऋण की राशि और उसमें घटकवार ब्यौरा नीचे चित्र 2.1 में दर्शाया गया है:

चित्र 2.1: केंद्र सरकार के ऋण के घटक

(₹ लाख करोड़ में)




¹⁰ सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य है, जिन्हें अंतिम उपयोगकर्ता द्वारा खरीदा जाता है, तथा जो किसी देश की सीमाओं के भीतर एक निश्चित समयावधि (जैसे एक तिमाही या एक वर्ष) में उत्पादित होती हैं। संक्षेप में, यह अर्थव्यवस्था के आकार को बताता है और ऋण स्थिरता के माप के लिए उपयुक्त आधार के रूप में उपयोग किया जाता है।

(ख) वित्तीय वर्ष 2021-22 से सकल घरेलू उत्पाद में वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि केंद्र सरकार के ऋण की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि से अधिक हो गई। नीचे चित्र 2.2 वित्तीय वर्ष 2019-20 से वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान केंद्र सरकार के ऋण और सकल घरेलू उत्पाद में प्रवृत्ति को दर्शाती है। वित्तीय वर्ष 2020-21 से वित्तीय वर्ष 2023-24 के बीच केंद्र सरकार के ऋण के संचय की गति सकल घरेलू उत्पाद विस्तार से कम थी, जो दर्शाता है कि अर्थव्यवस्था संचित ऋण को कम करने और चुकाने में सक्षम हो गई है।

चित्र 2.2: सकल घरेलू उत्पाद और केंद्र सरकार के ऋण की प्रवृत्ति

(₹ लाख करोड़ में)



(ग) प्राप्त बजट में केंद्र सरकार की देयताओं का प्रकटीकरण एफआरबीएम अधिनियम में केंद्र सरकार के ऋण की परिभाषा के अनुसार नहीं है। प्राप्त बजट 2025-26 ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के अंत में केंद्र सरकार की कुल देयताओं को ₹169.78 लाख करोड़ बताया। एफआरबीएम अधिनियम 2003 (2018 में संशोधित) में दी गई परिभाषा के आधार पर वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए केंद्र सरकार के ऋण की हमारी गणना ₹171.71 लाख करोड़ थी जो सकल घरेलू उत्पाद का 57.00 प्रतिशत है। अंतर नीचे तालिका 2.3 में दर्शाया गया है:

तालिका 2.3: प्राप्ति बजट 2025-26 तथा लेखापरीक्षा की गणना में वर्ष 2023-24 के अंत में केंद्र सरकार की देयताओं का प्रकटीकरण

(₹ लाख करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	प्राप्ति बजट 2025-26 के अनुसार	एफआरबीएम अधिनियम के अनुसार लेखापरीक्षा में गणना
1	आंतरिक ऋण	146.98	146.98
2	विदेशी ऋण	5.66 (बहीमूल्य पर)	7.96 (वर्तमान विनिमय दर पर)
3	अन्य देयता/ लोक लेखा देयता	17.14	17.14
4	ईबीआर	शामिल नहीं	1.38
5	नकद शेष	शामिल नहीं	1.75
6	केन्द्र सरकार का ऋण	169.78	171.71

2.1.2 सामान्य सरकारी ऋण

अंतर सरकारी देयताओं को शामिल न करते हुये केंद्र सरकार, राज्य सरकारों के संचित ऋण के रूप में “सामान्य सरकारी ऋण” की अवधारणा को मार्च 2018 में एफआरबीएम अधिनियम, 2003 में एक संशोधन के माध्यम से प्रस्तुत किया गया था। इस अधिनियम में वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंत तक केन्द्र सरकार के ऋण (सीजीडी) को सकल घरेलू उत्पाद के 40 प्रतिशत और सामान्य सरकारी ऋण (जीजीडी) को सकल घरेलू उत्पाद के 60 प्रतिशत के स्तर पर रखने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। हालांकि अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, अपेक्षित वार्षिक कटौती लक्ष्य न तो एफआरबीएम नियमों के तहत और न ही सरकार द्वारा जारी किसी नीति दस्तावेज में निर्धारित किए गए थे ताकि समय पर इसकी प्राप्ति सुनिश्चित की जा सके।

‘2022-23¹¹ के लिए सरकारी ऋण पर स्थिति पत्र’ के विश्लेषण से पता चला की जीजीडी-सकल घरेलू उत्पाद अनुपात मार्च 2023 के अंत में 81.3 प्रतिशत था, जबकि मार्च 2022 के अंत में यह 83.0 प्रतिशत था। हालांकि, “वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंत तक सीजीडी को सकल घरेलू उत्पाद के 40 प्रतिशत और जीजीडी को सकल घरेलू उत्पाद के 60 प्रतिशत के स्तर पर सीमित रखने” के निर्धारित लक्ष्य के संदर्भ में, वित्तीय वर्ष 2023-24 और वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान लक्षित कमी अपेक्षित थी।

¹¹ 2023-24 के लिए सरकारी ऋण पर स्थिति पत्र अभी (जुलाई 2025) प्रकाशित नहीं हुआ है।

मंत्रालय ने उत्तर दिया (जून 2025) कि 15^{वें} वित्त आयोग की सिफारिशों केन्द्र सरकार द्वारा पहले ही स्वीकार कर ली गई हैं, आयोग की सिफारिशों के अनुसार राज्यों को ऋण लेने का पूरा अधिकार है, अर्थात् राज्य वित्तीय वर्ष 2023-24 से 2025-26 तक जीएसडीपी के 3 प्रतिशत तक ऋण ले सकते हैं। मंत्रालय ने यह भी बताया कि राज्यों पर उनके ऋण-से-सकल घरेलू उत्पाद अनुपात को कम करने के लिए दबाव डालने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है।

2.2 ऋण स्थिरता विश्लेषण

ऋण स्थिरता विश्लेषण (डीएसए) एक उपाय है जो सरकार की एक निश्चित अवधि में अपने ऋण-संबंधी वित्तीय दायित्वों को पूरा करने की क्षमता का आकलन करता है। विश्लेषण का आधार ऋण-से-सकल घरेलू उत्पाद अनुपात है। आधार यह है कि ऋण में वृद्धि अर्थव्यवस्था में वृद्धि (सकल घरेलू उत्पाद-सकल घरेलू उत्पाद के रूप में मापी गई) के अनुरूप होनी चाहिए। एक स्थिर राजकोषीय नीति वह है जिसमें ऋण-से-सकल घरेलू उत्पाद अनुपात लंबी अवधि तक स्थिर हो या घट रहा हो।

ऋण स्थिरीकरण संकेतक एक उपयोगी संकेतक है। धारणा यह है कि यदि अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर ब्याज दर या लोक ऋण की लागत से अधिक है, तो ऋण-सकल घरेलू उत्पाद अनुपात स्थिर रहने की संभावना है, बशर्ते प्राथमिक घाटे में कटौती की जाए।

❖ ऋण स्थिरीकरण सूचक = क्वांटम स्प्रेड¹² + प्राथमिक घाटा¹³

❖ ऋण स्थिरता शर्त यह बताती है कि यदि:

- ✓ ऋण स्थिरीकरण सूचक = 0, ऋण-सकल घरेलू उत्पाद अनुपात स्थिर रहेगा, या ऋण अंततः स्थिर हो जाएगा।
- ✓ ऋण स्थिरीकरण सूचक नकारात्मक है, ऋण-सकल घरेलू उत्पाद अनुपात बढ़ेगा।
- ✓ ऋण स्थिरीकरण सूचक सकारात्मक है, ऋण-सकल घरेलू उत्पाद अनुपात अंततः गिर जाएगा।

¹² क्वांटम स्प्रेड = केंद्र सरकार का ऋण x ब्याज स्प्रेड/100

¹³ प्राथमिक घाटा = राजकोषीय घाटा - ब्याज भुगतान।

वित्तीय वर्ष 2023-24 में ऋण स्थिरीकरण संकेतक सकारात्मक है, जो 2022-23 में स्थिरता की दिशा में सुधार का संकेतक है (तालिका 2.4)।

तालिका 2.4: केंद्र सरकार के ऋण स्थिरता संकेतकों में प्रवृत्ति

(₹ लाख करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
1	केन्द्र सरकार का ऋण	105.07	121.87	138.65	156.13	171.71
2	केन्द्र सरकार के ऋण की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	12.66	15.99	13.77	12.61	9.98
3	वर्तमान मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद	201.04	198.54	235.97	268.90	301.23
4	वर्तमान मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	6.37	-1.24	18.85	13.96	12.02
5	केंद्र सरकार ऋण-सकल घरेलू उत्पाद अनुपात (प्रतिशत में)	52.26	61.38	58.76	58.06	57.00
6	ऋण पर ब्याज भुगतान	6.55	7.21	8.28	9.59	11.03
7	कुल राजस्व प्राप्तियां	19.48	18.65	24.36	27.13	30.88
8	औसत ब्याज लागत ¹⁴ (प्रतिशत में)	6.61	6.35	6.36	6.51	6.73
9	राजस्व प्राप्ति के लिए ऋण पर ब्याज भुगतान (प्रतिशत में)	33.62	38.66	33.99	35.35	35.72
10	लोक ऋण अदायगी	63.27	61.85	66.45	72.00	74.62
11	लोक ऋण प्राप्ति	73.01	81.63	82.49	88.65	91.60
12	लोक ऋण अदायगी से लोक ऋण प्राप्ति तक (प्रतिशत में)	86.66	75.77	80.56	81.22	81.46
13	ब्याज स्प्रेड ¹⁵ (प्रतिशत में)	-0.24	-7.59	12.49	7.45	5.29
14	क्वांटम स्प्रेड	-0.25	-9.25	17.32	11.63	9.08
15	प्राथमिक घाटा (-)	3.76	12.54	9.34	7.97	4.99
16	ऋण स्थिरीकरण सूचक ¹⁶	-4.01	-21.79	7.98	3.66	4.09

स्रोत: संबंधित वर्षों के यूजीएफए। सकल घरेलू उत्पाद के लिए - एनएसओ प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 28 फरवरी 2025।

¹⁴ औसत ब्याज लागत = ब्याज भुगतान / पिछले वित्तीय वर्ष और चालू वर्ष का औसत बकाया ऋण x100.

¹⁵ ब्याज स्प्रेड = सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर (वर्तमान मूल्य) - औसत ब्याज लागत।

¹⁶ ऋण स्थिरीकरण सूचक = क्वांटम प्रसार + प्राथमिक घाटा।

आगे उपरोक्त **तालिका 2.4** का विश्लेषण निम्नलिखित दर्शाता है:

- ❖ केंद्र सरकार का ऋण-सकल घरेलू उत्पाद अनुपात वित्तीय वर्ष 2019-20 में 52.26 प्रतिशत से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2020-21 में महामारी के दौरान 61.38 प्रतिशत तक उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। उसके बाद, वित्तीय वर्ष 2021-23 में सकल घरेलू उत्पाद के 58.76 प्रतिशत से घटकर 58.06 प्रतिशत रह गया जो फिर आगे वित्तीय वर्ष 2023-24 के अंत में सकल घरेलू उत्पाद का 57.00 प्रतिशत रह गया। हालांकि, अधिनियम के तहत लक्ष्य सकल घरेलू उत्पाद का 40 प्रतिशत है, जिसे वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंत तक प्राप्त किया जाना है।
- ❖ वित्तीय वर्ष 2019-20 में लोक ऋण अदायगी, लोक ऋण प्राप्तियों का 86.66 प्रतिशत थी, लेकिन महामारी के दौरान वित्तीय वर्ष 2020-21 में इसमें 75.77 प्रतिशत की कमी हुई। उसके बाद, यह अनुपात थोड़ा बढ़ा है तथा वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान लोक ऋण अदायगी लोक ऋण प्राप्तियों का 81.46 प्रतिशत था।
- ❖ राजस्व प्राप्ति अनुपात में ऋण पर ब्याज भुगतान सरकार की राजकोषीय स्थिति का एक महत्वपूर्ण संकेतक है। यह इस बात का माप है कि सरकार के राजस्व का कितना हिस्सा उसके ऋण पर ब्याज का भुगतान करने में उपयोग किया जाता है। यह अनुपात वित्तीय वर्ष 2020-21 में 38.66 प्रतिशत के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया, वित्तीय वर्ष 2021-22 में घटकर 33.99 प्रतिशत हो गया लेकिन वित्तीय वर्ष 2022-23 में बढ़कर 35.35 प्रतिशत और वित्तीय वर्ष 2023-24 में 35.72 प्रतिशत हो गया। इस प्रकार सरकार की राजस्व प्राप्तियों का एक बड़ा हिस्सा उसके ब्याज दायित्वों की पूर्ति में चला गया।

2.3 गारंटी

सामान्य वित्तीय नियम (जीएफआर) 2017 के नियम 276 के अनुसार, केंद्र सरकार सरकारी संस्थाओं को, मुख्य रूप से सामाजिक-आर्थिक परियोजनाओं या गतिविधियों पर ऋण लेने के लिए उनकी लागत को कम करने के लिए गारंटी देती है। संप्रभु गारंटी तभी दी जाती है जब यह द्विपक्षीय/बहुपक्षीय सहायता के लिए एक पूर्व शर्त होती है।

आकस्मिक देयतायें होने के कारण गारंटियां ऋण का हिस्सा नहीं होती हैं, लेकिन चूक की स्थिति में, उनका सरकार की देयताओं पर असर पड़ सकता है।

एफआरबीएम अधिनियम और इसके तहत बनाए गए नियमों में यह प्रावधान है कि केंद्र सरकार किसी भी वित्तीय वर्ष में, भारत की संचित निधि (सीएफआई) के प्रतिभूति जमा पर सकल घरेलू उत्पाद के आधे प्रतिशत से अधिक किसी भी ऋण के संबंध में अतिरिक्त गारंटी नहीं देगी।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, एफआरबीएम अधिनियम के तहत अतिरिक्त गारंटी सीमा के भीतर ही निर्धारित की गई हैं। पिछले पांच वित्तीय वर्षों के दौरान अतिरिक्त गारंटी भी निर्धारित सीमा के भीतर रही जैसा कि **अनुलग्नक 2.2** में विवरण दिया गया है।

2.4 वृहद आर्थिक मापदंडों में प्रवृत्ति

- ❖ राजकोषीय घाटा, एक वित्तीय वर्ष के दौरान भारत की संचित निधि से प्राप्त कुल राशि और निधि में प्राप्त कुल प्राप्तियों के बीच के अंतर को दर्शाता है, जिसमें ऋण प्राप्तियां और ऋण अदायगी शामिल नहीं हैं।
- ❖ राजस्व प्राप्तियों की तुलना में राजस्व घाटा, राजस्व व्यय से अधिक है।
- ❖ प्राथमिक घाटा का अर्थ है राजकोषीय घाटा में से ब्याज भुगतान को घटाकर प्राप्त राशि।

क (i). राजकोषीय संकेतक - रोलिंग लक्ष्य

तीन वर्ष के रोलिंग लक्ष्यों के लिए राजकोषीय अनुमान एमटीएफपी विवरण में शामिल नहीं हैं

एफआरबीएम अधिनियम (अप्रैल 2018 में संशोधित) की धारा 3(2) के अनुसार, “मध्यम अवधि की राजकोषीय नीतिगत विवरण में अंतर्निहित मान्यताओं के विनिर्देश के साथ निर्धारित राजकोषीय संकेतकों के लिए तीन वर्ष का रोलिंग लक्ष्य निर्धारित किया जाएगा।

हालांकि, वित्तीय वर्ष 2021-22 से शुरू होकर, एमटीएफपी विवरणों में तीन वर्षों (वर्ष+1 और वर्ष+2 वर्षों के लिए) के लिए राजकोषीय अनुमान शामिल नहीं किये गये थे। इसके

बजाय, संबंधित वर्षों¹⁷ के एमटीएफपी विवरण में धारा 4 में उल्लिखित राजकोषीय लक्ष्यों से विचलन के कारणों और राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम, 2003 की धारा 7(3)(बी) के तहत दायित्वों के अनुपालन की व्याख्या करने वाला एक विवरण शामिल किया गया।

क (ii). राजकोषीय संकेतकों के वास्तविक की तुलना में अनुमान

वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए राजकोषीय संकेतकों और उनके वास्तविक के बारे में अनुमान नीचे तालिका 2.5 में दर्शाए गए हैं।

तालिका 2.5: वास्तविक की तुलना में अनुमान

(सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में)

अनुमानित राजकोषीय संकेतक का प्रकार	एमटीएफपी 2023-24	एमटीएफपी 2024-25	यूजीएफए 2023-24
	2023-24 के लिए बजट अनुमान	2024-25 के लिए संशोधित अनुमान	2023-24 के लिए वास्तविक
राजकोषीय घाटा	5.9	5.8	5.32
राजस्व घाटा	2.9	2.8	2.54
प्राथमिक घाटा	2.3	2.3	1.66
सकल कर राजस्व	11.1	11.6	11.50
गैर-कर राजस्व	1.0	1.3	2.49
केंद्र सरकार का ऋण	57.2	58.1	57.00
जिसमें ई.बी.आर. के कारण देयताएं	-	-	0.46

स्रोत: राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय (एनएसओ) की 28 फरवरी 2025 की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, 2023-24 के लिये वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद आंकड़े।

*वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिये 2021-22 व 2022-23 में एमटीएफपी में कोई अनुमान नहीं किया गया था।

¹⁷ सरकार ने एमटीएफपी विवरण 2021-22 में कहा है कि "सरकार एफआरबीएम अधिनियम में संशोधन करेगी। इसलिए, इस विवरण के साथ वर्ष 2022-23 और 2023-24 के लिए कोई राजकोषीय अनुमान प्रस्तुत नहीं किए गए हैं।" एमटीएफपी विवरण 2022-23 में सरकार ने पुनः तर्क दिया कि "यद्यपि भारत की आर्थिक नींव मजबूत बनी हुई है, फिर भी सरकार के लिए यह आवश्यक है कि वह महामारी से उत्पन्न अनिश्चितताओं के कम होने तक उभरती आकस्मिकताओं का प्रभावी ढंग से सामना करने के लिए अपेक्षित राजकोषीय लचीलापन बनाए रखे। इसलिए, एफआरबीएम कानून में संशोधन का प्रस्ताव नहीं किया जा रहा है और वित्तीय वर्ष 2023-24 और वित्तीय वर्ष 2024-25 के राजकोषीय अनुमान इस विवरण के साथ प्रस्तुत नहीं किए जा रहे हैं।" एमटीएफपी विवरण 2023-24 में कहा गया था कि "अभूतपूर्व वैश्विक उथल-पुथल और विपरीत परिस्थितियों के बीच मध्यम अवधि के अनुमान विश्वसनीय नहीं हो सकते हैं। इसलिए, वित्तीय वर्ष 2024-25 और वित्तीय वर्ष 2025-26 के राजकोषीय अनुमानों को इस विवरण के साथ नहीं रखा जा रहा है। हालाँकि, वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट भाषण में की गई प्रतिबद्धता के अनुरूप, सरकार वित्तीय वर्ष 2025-26 तक राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के 4.5 प्रतिशत से कम रखने के लिए राजकोषीय समेकन के एक व्यापक मार्ग का अनुसरण करेगी। सरकार निरंतर, व्यापक आधारित आर्थिक विकास प्राप्त करने के अपने प्रयासों को जारी रखेगी और राजकोषीय शुचिता के मार्ग पर चलते हुए लोगों के जीवन/आजीविका की रक्षा के लिए आवश्यक उपाय करेगी।" एमटीएफपी विवरण 2024-25 में यह तर्क दिया गया था कि "सुचारु राजकोषीय नीति संचालन के लिए एक सक्रिय और चुस्त राजकोषीय रणनीति एक पूर्वापेक्षा है। इसलिए, अगले दो वर्षों के लिए रोलिंग लक्ष्य प्रदान नहीं किए गए हैं। इसके बजाय, जैसा कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट भाषण में घोषणा की गई थी, सरकार वित्तीय वर्ष 2025-26 तक राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 4.5 प्रतिशत से नीचे लाने के लिए राजकोषीय समेकन के व्यापक पथ पर आगे बढ़ती रहेगी।"

तालिका 2.5 से पता चलता है कि सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में सकल कर राजस्व और गैर-कर राजस्व के लिए वास्तविक संग्रह बजट अनुमानों से अधिक थे। राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा और प्राथमिक घाटा के वास्तविक उनके संबंधित बजट अनुमानों और संशोधित अनुमानों से कम थे। सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में केंद्र सरकार का ऋण, बजट अनुमान चरण में अनुमान से कम था।

ख. सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी)

तालिका 2.6: सकल घरेलू उत्पाद की प्रवृत्ति

(₹ लाख करोड़ में)

सकल घरेलू उत्पाद	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23 [#]	2023-24 [@]
वर्तमान मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद (नाममात्र सकल घरेलू उत्पाद)	201.04	198.54	235.97	268.90	301.23
पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत परिवर्तन (वर्तमान मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद)	6.37	-1.24	18.85	13.96	12.02
स्थिर (2011-12) मूल्यों (वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद) पर सकल घरेलू उत्पाद	145.35	136.95	150.22	161.65	176.51
पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत परिवर्तन (स्थिर मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद)	3.87	-5.78	9.69	7.61	9.19

स्रोत: सकल घरेलू उत्पाद-एनएसओ की दिनांक 28 फरवरी 2025 की प्रेस विज्ञप्ति।

[#] वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिये अंतिम अनुमान; [@] वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिये प्रथम संशोधित अनुमान


वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए मध्यम-अवधि राजकोषीय नीतिगत विवरण (एमटीएफपी) के 'वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए राजकोषीय दृष्टिकोण' भाग में यह उल्लेख किया गया था कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के अग्रिम अनुमानों की तुलना में वित्तीय वर्ष 2023-24 में नाममात्र सकल घरेलू उत्पाद 10.5 प्रतिशत तक बढ़ने का अनुमान है।

बजट 2024-25 में, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए सकल घरेलू उत्पाद का अनुमान ₹295.36 लाख करोड़ रखा गया था। हालांकि, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए सकल घरेलू उत्पाद का पहला संशोधित अनुमान ₹301.23 लाख करोड़ था, जो पिछले वर्ष की

तुलना में 12.02 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। इस प्रकार, वित्तीय वर्ष 2023-24 में नाममात्र सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि बजटीय अनुमानों से अधिक हो गई।

ग. राजस्व प्राप्तियां

चित्र 2.7: राजस्व प्राप्ति के अनुमानों की तुलना में वास्तविक का विश्लेषण



स्रोत: बीई और आरई के लिए - वार्षिक वित्तीय विवरण 2024-25 और वास्तविक के लिए - यूजीएफए 2023-24।


सकल कर और गैर-कर राजस्व बजटीय अनुमानों से अधिक है। सकल कर राजस्व संग्रहण ₹34.66 लाख करोड़ था अर्थात् वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुमानित राशि से 3.12 प्रतिशत अधिक था। वित्तीय वर्ष 2023-24 में समग्र राजस्व प्राप्ति संग्रहण बजटीय ₹29.80 लाख करोड़ के प्रति ₹30.88 लाख करोड़ था। वस्तु एवं सेवा कर के अलावा वस्तुओं और सेवाओं पर करों को छोड़कर सकल कर राजस्व के सभी घटकों में बजट अनुमानों की तुलना में वास्तविक में मामूली वृद्धि दर्ज की गई। सकल कर राजस्व के घटकों में प्रमुख वृद्धि "आय और व्यय पर कर" (बजट अनुमान से 7.02 प्रतिशत) और "संपत्ति और पूंजीगत लेनदेन पर कर" (बजट अनुमान से 21.43 प्रतिशत) में देखी गई। गैर-कर राजस्व, जो ₹7.52 लाख करोड़ रहा, भी बजट अनुमानों की तुलना में 17.50 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है (अनुलग्नक-2.3)।

घ. राजस्व व्यय

आर्थिक सेवाओं में वृद्धि के कारण राजस्व व्यय बजटीय अनुमान से अधिक रहा

वित्तीय वर्ष 2023-24 में राजस्व व्यय ₹38.54 लाख करोड़ था, जो बजट अनुमानों से 0.09 प्रतिशत अधिक था (चित्र 2.8)। सामान्य सेवाओं पर राजस्व व्यय (₹18.79 लाख करोड़) कुल राजस्व व्यय का 48.75 प्रतिशत था और यह बजट अनुमानों (2.37 प्रतिशत अधिक) के लगभग था। बजट अनुमानों से वास्तविक में बड़ी वृद्धि रक्षा सेवाओं (बजट अनुमान से 7.50 प्रतिशत अधिक) और पेंशन व विविध सामान्य सेवाओं में (बीई से 5.48 प्रतिशत अधिक) में देखी गई। सामाजिक सेवाओं के लिए राजस्व व्यय (₹2.53 लाख करोड़) बजट अनुमानों (15.05 प्रतिशत) अधिक था, जिसका कारण सामाजिक कल्याण व पोषण में (बीई से 179.47 प्रतिशत) अधिक और शिक्षा, खेल, कला व संस्कृति (बीई से 50.79 प्रतिशत अधिक) में वृद्धि था। हालाँकि, आर्थिक सेवाओं के लिए राजस्व व्यय (₹11.05 लाख करोड़) का वास्तविक बजट अनुमानों से 0.74 प्रतिशत कम था, बजट अनुमानों व वास्तविक में विस्तृत भिन्नता अनुलग्नक 2.4 में दी गई है।

चित्र 2.8: राजस्व व्यय के अनुमानों की तुलना में वास्तविक का विश्लेषण



स्रोत: यूजीएफए 2023-24 के वास्तविक के लिए बीई और आरई एफएस 2024-25 के लिये।

ड. एमटीएफपी विवरण 2023-24 के अनुसार निर्धारित क्षेत्रों पर व्यय

एमटीएफपी विवरण 2023-24 में सरकार ने “स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल और स्वच्छता, कृषि, ग्रामीण विकास आदि जैसे प्रमुख विकासात्मक क्षेत्रों के लिए व्यय को प्राथमिकता देने के बारे में कहा है ताकि सतत विकास और रोजगार को बढ़ावा दिया जा सके;” हमने वित्तीय वर्ष 2021-22 से वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान क्षेत्रवार व्यय का विश्लेषण किया है जैसा कि नीचे तालिका 2.9 में दिया गया है।

तालिका 2.9: निर्धारित क्षेत्रों पर व्यय

(₹ करोड़ में)

क्षेत्र/वर्ष		2021-22	2022-23	2023-24
कृषि	आय	1,23,267.48	1,10,142.59	2,13,050.75
	पूंजी	12.89	8.10	43.97
	कुल	1,23,280.37	1,10,150.69	2,13,094.72
पेयजल और स्वच्छता	आय	1,26,616.94	71,810.50	99,983.10
	पूंजी	195.11	181.42	231.16
	कुल	1,26,812.05	71,991.92	1,00,214.26
शिक्षा	आय	1,19,181.91	1,50,132.08	1,65,258.81
	पूंजी	12.02	2.94	7.77
	कुल	1,19,193.93	1,50,135.02	1,65,266.58
स्वास्थ्य	आय	94,014.67	98,366.99	96,391.93
	पूंजी	4,940.60	3,050.82	2,026.56
	कुल	98,955.27	1,01,417.81	98,418.49
ग्रामीण विकास	आय	2,89,911.26	3,33,079.93	2,68,870.57
	पूंजी	0	0	3.32
	कुल	2,89,911.26	3,33,079.93	2,68,873.89
समग्र व्यय	आय	7,52,992.26	7,63,532.09	8,43,555.16
	पूंजी	5,160.62	3,243.28	2,312.78
	कुल	7,58,152.88	7,66,775.37	8,45,867.94

स्रोत: वित्तीय वर्ष 2022-23, वित्तीय वर्ष 2023-24 और वित्तीय वर्ष 2024-25 की अनुदान मांगों का सारांश।

अनुदान के लिये मांग के सारांश में वर्णित संबंधित मंत्रालय के व्यय को विश्लेषण के लिए लक्षित क्षेत्रीय व्यय के रूप में उपयोग किया गया।

हमने पाया कि पिछले तीन वर्षों में निर्धारित क्षेत्रों पर समग्र व्यय में लगातार वृद्धि हुई है, हालाँकि पूंजीगत व्यय का अनुपात कम हुआ है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान क्षेत्रवार व्यय, वित्तीय वर्ष 2022-23 की तुलना में, कृषि, पेयजल एवं स्वच्छता, तथा शिक्षा के क्षेत्र में विशेष रूप से अधिक रहा। जबकि वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान

स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में तुलनात्मक व्यय में पिछले वित्तीय वर्ष 2022-23 की तुलना में गिरावट देखी गई।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए मूल बजट से वास्तविक व्यय (अनुलग्नक 2.5) कृषि, ग्रामीण विकास, शिक्षा और पेयजल एवं स्वच्छता में क्रमशः 70.43 प्रतिशत, 12.52 प्रतिशत, 6.69 प्रतिशत और 2.95 प्रतिशत अधिक रहा। स्वास्थ्य पर वास्तविक व्यय वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट अनुमान में अनुमानित व्यय से 8.59 प्रतिशत कम रहा। साथ ही, उपरोक्त सभी क्षेत्रों में वास्तविक पूंजीगत व्यय वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट अनुमान में अनुमानित राशि से कम रहा।

च. पूंजीगत प्राप्तियां

पूंजीगत प्राप्तियों में गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियां और ऋण प्राप्तियां शामिल हैं। गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियों (एनडीसीआर) के दो प्रमुख घटक हैं अर्थात् ऋण और अग्रिम की वसूली और अन्य प्राप्तियां (जिसमें ज्यादातर विनिवेश प्राप्तियां शामिल हैं, जो रणनीतिक परिसंपत्तियों की बिक्री के अलावा सरकार के स्वामित्व वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में इक्विटी की बिक्री पर सरकार को प्राप्त होती हैं)। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए एमटीएफपी में सरकार ने कहा कि “वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए बजट अनुमान में गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियों (एनडीसीआर) का अनुमान ₹84,000 करोड़ लगाया गया है, जिसमें ऋणों और अग्रिमों की वसूली के तहत प्राप्तियां (₹23,000 करोड़), सड़कों के मुद्दीकरण से प्राप्तियां (₹10,000 करोड़) आदि शामिल हैं।” विवरण में यह भी बताया गया कि गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियों की वास्तविक प्राप्ति काफी हद तक मौजूदा बाजार स्थितियों, सरकारी हिस्सेदारी को सौंपे गए अपेक्षित मूल्यांकन आदि पर निर्भर करती है।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान सरकार को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में अपनी इक्विटी के विनिवेश से ₹15,220 करोड़ प्राप्त हुए, जबकि वित्तीय वर्ष 2022-23 में यह राशि ₹30,184 करोड़ थी। ऋणों और अग्रिमों की वास्तविक वसूली तथा सड़क के मुद्दीकरण के तहत वसूली क्रमशः ₹1.17 लाख करोड़ और ₹0.16 लाख करोड़ थी, जो वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट अनुमान से अधिक थी। निम्न तालिका के अनुसार 2019-20 से 2023-24 के दौरान पूंजीगत प्राप्तियों के विवरण है:

तालिका 2.10: पूंजीगत प्राप्ति की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	ऋण प्राप्ति (क)	विविध पूंजीगत प्राप्ति (ख1)	ऋण और अग्रिम (ख2)	कुल गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्ति (ख = ख1+ख2)	पूंजीगत प्राप्ति (क + ख)
2019-20	73,01,387	50,349	18,647	68,996	73,70,383
2020-21	81,62,910	37,897	29,923	67,820	82,30,730
2021-22	82,49,152	14,638	24,948	39,586	82,88,738
2022-23	88,64,893	46,035	36,273	82,308	89,47,201
2023-24	91,60,050	45,281 [#]	1,16,974 [*]	1,62,255	93,22,305

स्रोत: संबंधित वर्षों के यूजीएफए। #इसमें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में अपनी इक्विटी के विनिवेश से प्राप्त ₹15,220 करोड़ और राष्ट्रीय राजमार्गों के मुद्दीकरण हेतु ₹15,968 करोड़ शामिल हैं।

*वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, ऋणों और अग्रिमों की वसूली में जीएसटी क्षतिपूर्ति की कमी के एवज में विधानसभा वाले राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को दिए गए बैंक-टू-बैंक ऋणों की अदायगी के संबंध में ₹78,104 करोड़ की राशि भी शामिल है (सीएजी की 2025 की रिपोर्ट संख्या 16 के पैरा 2.6.1 का संदर्भ लें)।

छ. राजस्व और पूंजीगत व्यय

वित्तीय वर्ष 2020-21 से कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में और निरपेक्ष रूप से पूंजीगत व्यय में वृद्धि दर्ज की गई है

तालिका 2.11: राजस्व और पूंजीगत व्यय का प्रवृत्ति विश्लेषण

(₹ लाख करोड़ में)


वित्तीय वर्ष	राजस्व व्यय	पूंजीगत व्यय	ऋण और अग्रिम	कुल व्यय
2019-20	26.15	3.88	0.45	30.48
	85.79 प्रतिशत	12.73 प्रतिशत	1.48 प्रतिशत	
2020-21	33.15	3.43	2.50	39.08
	84.83 प्रतिशत	8.7 8 प्रतिशत	6.39 प्रतिशत	
2021-22	34.68	5.38	2.32	42.39
	81.83 प्रतिशत	12.69 प्रतिशत	5.48 प्रतिशत	
2022-23	37.84	6.25	1.42	45.51
	83.15 प्रतिशत	13.73 प्रतिशत	3.12 प्रतिशत	
2023-24	38.54	8.07	1.91	48.52
	79.43 प्रतिशत	16.63 प्रतिशत	3.94 प्रतिशत	

स्रोत: संबंधित वर्षों के यूजीएफए। उस वर्ष के लिये प्रतिशतता में आंकड़ों को कुल व्यय के अनुपात के रूप में दर्शाया गया है।

निरपेक्ष रूप से सरकार के कुल व्यय में ₹3.01 लाख करोड़ की वृद्धि हुई, जिसका मुख्य कारण पूंजीगत व्यय में वृद्धि (₹1.82 लाख करोड़) तथा राजस्व व्यय के रूप में ₹0.70 लाख करोड़ और ऋण एवं अग्रिम पर व्यय में (₹0.49 करोड़ की) वृद्धि है।

निरपेक्ष रूप से पूंजीगत व्यय वित्तीय वर्ष 2020-21 से वित्तीय वर्ष 2023-24 तक महामारी के बाद बढ़ते कुल व्यय के अनुरूप लगातार बढ़ रहा है, इसके अलावा कुल व्यय के अनुपात के रूप में पूंजीगत व्यय में विस्तार के परिणामस्वरूप राजस्व व्यय वित्तीय वर्ष 2022-23 में 83.15 प्रतिशत से घटकर वित्तीय वर्ष 2023-24 में 79.43 प्रतिशत हो गया।


चित्र 2.12: कुल व्यय के अनुपात में राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय तथा ऋण और अग्रिम की प्रवृत्ति



स्रोत: संबंधित वर्षों के यूजीएफए।

ज. गैर-ऋण प्राप्तियां

चित्र 2.13: गैर-ऋण प्राप्तियों की प्रवृत्ति



स्रोत: संबंधित वर्षों के यूजीएफए।

गैर-ऋण प्राप्तियों की वृद्धि दर वित्तीय वर्ष 2020-21 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2021-22 में 28.16 प्रतिशत रही (कोविड 19 के कारण वित्तीय वर्ष 2020-21 में गिरावट)। वित्तीय वर्ष 2022-23 और वित्तीय वर्ष 2023-24 में इनमें क्रमशः 12.88 प्रतिशत और 16.28 प्रतिशत की वर्ष-दर-वर्ष लगातार वृद्धि हुई।

झ. गैर-ऋण प्राप्तियों से वित्तपोषित कुल व्यय

वित्तीय वर्ष 2020-21 से गैर-ऋण संसाधनों से पूरा किये गये कुल व्यय में वृद्धि हुई जैसा तालिका 2.14 में विस्तार से दिया गया है।

तालिका 2.14: गैर-ऋण प्राप्तियों और कुल व्यय का वर्षवार संग्रहण

वित्तीय वर्ष	कुल व्यय (₹ लाख करोड़ में)	कुल व्यय में वर्ष दर वर्ष वृद्धि (प्रतिशत में)	गैर-ऋण प्राप्तियां* (₹ लाख करोड़ में)	गैर-ऋण प्राप्तियों में वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि (प्रतिशत में)	गैर-ऋण प्राप्तियों द्वारा वित्तपोषित कुल व्यय (प्रतिशत में)
2019-20	30.48	12.22	20.17	4.40	66.17
2020-21	39.08	28.22	19.32	-4.21	49.44
2021-22	42.39	8.47	24.76	28.16	58.41
2022-23	45.51	7.36	27.95	12.88	61.42
2023-24	48.52	6.61	32.50	16.28	66.98

स्रोत: संबंधित वर्षों के यूजीएफए।

*गैर-ऋण प्राप्तियों में शामिल हैं - राजस्व प्राप्तियां, विविध पूंजीगत प्राप्तियां और ऋण एवं अग्रिम की वसूली।

वित्तीय वर्ष 2023-24 (वित्तीय वर्ष 2022-23 की तुलना में) के लिए गैर-ऋण प्राप्तियों में वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि 16.28 प्रतिशत थी। महामारी-पूर्व वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान, गैर-ऋण प्राप्तियों द्वारा वित्तपोषित कुल व्यय लगभग 66 प्रतिशत था। स्वयं के स्रोतों (गैर-ऋण प्राप्तियों) द्वारा वित्तपोषित कुल व्यय का प्रतिशत वित्तीय वर्ष 2019-20 से वित्तीय वर्ष 2020-21 तक कम हो गया और उसके बाद लगातार बढ़ा। 2023-24 में यह 66.98 प्रतिशत था जो महामारी-पूर्व वित्तीय वर्ष 2019-20 (66.17 प्रतिशत) की तुलना में अधिक है।

2.5 राजकोषीय घाटा (एफडी)

राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 की धारा 2(क) के अनुसार, "राजकोषीय घाटे" को वित्तीय वर्ष के दौरान भारत की संचित निधि से, ऋण की अदायगी को छोड़कर, कुल संवितरणों का निधि में कुल प्राप्तियों (ऋण प्राप्तियों को छोड़कर) से अधिक होना परिभाषित किया गया है।

इसी प्रकार, एफआरबीएम नियम 2004 के नियम 2(सीए) में राजस्व घाटे को राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्तियों के बीच के अंतर के रूप में परिभाषित किया गया है। नीचे दी गई तालिका 2.15 यूजीएफए 2023-24 की विवरण संख्या 1 में निहित जानकारी के आधार पर राजकोषीय घाटे की गणना करती है।

तालिका 2.15: 2023-24 के लिए राजस्व और राजकोषीय घाटा

(₹ लाख करोड़ में)

व्यय	राशि	राजकोषीय मापदंड	प्राप्तियां	राशि
राजस्व व्यय	38.54	राजस्व घाटा 7.66	राजस्व प्राप्तियां	30.88
पूंजीगत व्यय	8.07		विविध पूंजीगत प्राप्तियां	0.45
ऋण और अग्रिम	1.91		ऋण और अग्रिमों की वसूली	1.17
कुल संवितरण	48.52	राजकोषीय घाटा 16.02	कुल गैर-ऋण प्राप्तियां	32.50

स्रोत: वित्तीय वर्ष 2022-23 का यूजीएफए।

बजट एक नजर (बीएजी) 2025-26 में राजकोषीय घाटा (₹16,54,643 करोड़) और राजस्व घाटा (₹7,65,216 करोड़) के आंकड़े यूजीएफए 2023-24 से ऊपर गणना किए गए आंकड़ों से भिन्न थे।

वर्ष 2024 को पिछले सीएजी प्रतिवेदन संख्या 1 में, हमने सिफारिश की थी कि राजकोषीय घाटे की गणना से कुछ लेनदेन को हटाने के आधार के बारे में स्पष्टीकरण के साथ-साथ बीएजी में एक सामान्य प्रकटीकरण दिया जाना चाहिए। हालांकि बीएजी 2023-24 (फरवरी 2023) से एक सामान्य प्रकटीकरण डाला गया है, अभी भी बीएजी 2025-26 में स्पष्टीकरण उपलब्ध नहीं था।

आंतरिक ऋण राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण का प्रमुख स्रोत है

राजकोषीय घाटे को या तो अतिरिक्त लोक ऋण (आंतरिक या विदेशी) द्वारा वित्तपोषित किया जाता है या लोक लेखा से अधिशेष निधियों का उपयोग करके। हमने इन स्रोतों की पहचान नीचे तालिका 2.16 में विस्तार से की है।

तालिका 2.16: राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण के स्रोत

(₹ लाख करोड़ में)

अवधि	आंतरिक ऋण (निवल)		विदेशी ऋण (निवल)		लोक लेखा (निवल)		नकद आहरण		राजकोषीय घाटा
	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत	राशि
2019-20	9.46	91.76	0.29	2.81	0.51	4.95	0.05	0.48	10.31
2020-21	18.89	95.65	0.89	4.51	0.04	0.20	-0.07	-0.36	19.75
2021-22	15.53	88.09	0.51	2.89	1.56	8.85	0.03	0.17	17.63
2022-23	16.12	91.80	0.54	3.07	0.92	5.24	-0.02	-0.11	17.56
2023-24	16.24	101.37	0.73	4.56	-0.96	-5.99	0.01	0.06	16.02

स्रोत: संबंधित वर्षों के यूजीएफए।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए राजकोषीय घाटे को मुख्य रूप से निवल आंतरिक ऋण (लगभग 101.37 प्रतिशत हिस्सा) से वित्तपोषित किया गया, जबकि राजकोषीय घाटे को वित्तपोषित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले विदेशी ऋण का हिस्सा वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान 3.07 प्रतिशत से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2023-24 में 4.56 प्रतिशत हो गया। 2023-24 में राजकोषीय घाटे को वित्तपोषित करने में आंतरिक ऋण का हिस्सा 100 प्रतिशत से अधिक रहा है और लोक लेखा देयताओं का ऋणात्मक हिस्सा रहा है, यह संकेत मिलता है कि लोक लेखा देयताओं का निर्वहन करने में आंतरिक ऋण का आंशिक उपयोग किया गया था। राजकोषीय घाटे के घटकों को तालिका 2.17 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.17: राजकोषीय घाटे के घटक

(₹ लाख करोड़ में)

अवधि	राजस्व घाटा		निवल पूंजीगत व्यय		निवल ऋण और अग्रिम		राजकोषीय घाटा
	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत	राशि
2019-20	6.67	64.69	3.37	32.69	0.27	2.62	10.31
2020-21	14.50	73.42	3.05	15.44	2.20	11.14	19.75
2021-22	10.32	58.54	5.24	29.72	2.07	11.74	17.63
2022-23	10.71	60.99	5.79	32.97	1.06	6.04	17.56
2023-24	7.66	47.82	7.62	47.57	0.74	4.61	16.02

स्रोत: संबंधित वर्षों के यूजीएफए।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान ₹16.02 लाख करोड़ के राजकोषीय घाटे में से, ₹7.66 लाख करोड़ (48 प्रतिशत) राजस्व लेखे के वित्त पोषण घाटे के लिए था, जो पिछले

वर्ष 2022-23 की तुलना में एक उल्लेखनीय सुधार है, जहाँ राजकोषीय घाटे का लगभग 61 प्रतिशत राजस्व घाटे के कारण था। इस प्रकार, वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान राजस्व घाटे से राजकोषीय घाटे के अनुपात में काफी कमी आई। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान राजकोषीय घाटे के कारण निवल पूंजीगत व्यय में भी विस्तार के सकारात्मक संकेत मिले और यह पिछले वर्ष के 32.97 प्रतिशत के स्तर से भी अधिक गया।

अध्याय

3

प्रकटीकरण और पारदर्शिता

अध्याय

3

प्रकटीकरण और पारदर्शिता

3.1 प्रकटीकरण विवरण

एफआरबीएम अधिनियम, 2003 (संशोधित) की धारा 6(1) में कहा गया है कि "केंद्र सरकार, लोक हित में अपने राजकोषीय परिचालनों में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त उपाय करेगी और वार्षिक वित्तीय विवरण और अनुदानों की मांग की तैयारी में गोपनीयता को यथासंभव कम करेगी"। समय-समय पर संशोधित एफआरबीएम नियम, 2004 के नियम 6 में यह भी अनिवार्य किया गया है कि केंद्र सरकार वार्षिक वित्तीय विवरण और अनुदानों की मांग प्रस्तुत करते समय निर्धारित प्रारूप में प्रकटीकरण (डी-1 से डी-5) करेगी। साथ ही, लेखांकन मानकों, नीतियों और प्रथाओं में कोई भी महत्वपूर्ण परिवर्तन जो निर्धारित राजकोषीय संकेतकों की गणना को प्रभावित करता है या प्रभावित करने की संभावना है, उसे भी एफआरबीएम नियमों के तहत प्रकट किया जाना आवश्यक है।

तालिका 3.1: एफआरबीएम अधिनियम के अनुसार प्रकटीकरण विवरण

प्रकटीकरण विवरण का शीर्षक	
डी1	कर राजस्व जुटाया गया लेकिन वसूल नहीं किया गया
डी2	गैर-कर राजस्व का बकाया
डी3	सरकार द्वारा दी गई गारंटी
डी4	परिसंपत्ति रजिस्टर
डी5	वार्षिकी परियोजनाओं पर देयता


3.1.1 जुटाए गए किन्तु वसूल न किए गए कर राजस्व पर प्रकटीकरण विवरण 1 (डी1)

प्रकटीकरण विवरण 1 में जुटाए गए लेकिन प्राप्त नहीं किए गए कर राजस्व का विवरण दिया गया है, अर्थात् संभावित कर राजस्व की राशि, जो वर्ष के अंत तक अभी भी

एकत्र की जानी है। इन राशियों को आगे 'विवादित वस्तुओं' और 'अविवादित वस्तुओं' की अलग-अलग श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है (अनुलग्नक 3.1)। फॉर्म डी1 के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2023-24 के अंत में ₹31.11 लाख करोड़ की राशि जुटाई गई, लेकिन अभी तक वसूल नहीं की जा सकी है, जो वर्ष के दौरान एकत्र किए गए सकल कर का 89.76 प्रतिशत है। हमने देखा कि पिछले वर्ष की तुलना में, यह अप्राप्त राशि वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान ₹9.81 लाख करोड़ बढ़ गई थी (वित्तीय वर्ष 2022-23 में ₹21.30 लाख करोड़ से वित्तीय वर्ष 2023-24 में ₹31.11 लाख करोड़ तक), जिसमें से अविवादित राशि का हिस्सा ₹6.63 लाख करोड़ था (वित्तीय वर्ष 2022-23 में ₹9.08 लाख करोड़ से वित्तीय वर्ष 2023-24 में ₹15.71 लाख करोड़ तक) जैसा कि नीचे चित्र 3.2 में विस्तृत है (विवरण अनुलग्नक 3.2 में)। प्रकटीकरण विवरण में कर राजस्व के एकत्रीकरण, लेकिन 'अविवादित' श्रेणी में वसूल न किए जाने का प्रमुख कारण "कोई परिसंपत्ति न होना या वसूली के लिए अपर्याप्त परिसंपत्ति होना, परिसंपत्तियों का पता न लगा पाना आदि" बताया गया है।

चित्र 3.2: कर राजस्व जुटाने लेकिन वसूल न होने की प्रवृत्ति

(₹ लाख करोड़ में)



स्रोत: क्रमशः 2022-23 और 2023-24 के वास्तविक आंकड़े, प्राप्ति बजट 2024-25 और 2025-26।

इसके अलावा, ₹15.40 लाख करोड़ की राशि 'विवादित' के रूप में बताई गई, जिसमें से ₹13.36 लाख करोड़ आय और व्यय पर कर से संबंधित थे और शेष ₹2.03 लाख करोड़ वस्तुओं और सेवाओं पर कर से संबंधित थे। हमने पाया कि आय और व्यय पर कर में पांच साल से अधिक समय से 'विवादित' मामलों की लंबितता वित्तीय वर्ष 2022-24 के दौरान ₹0.77 लाख करोड़ से बढ़कर ₹2.68 लाख करोड़ हो गई और वस्तुओं और सेवाओं पर कर के संबंध में यह ₹0.66 लाख करोड़ से बढ़कर ₹0.81 लाख करोड़ हो गई।

मंत्रालय ने उत्तर दिया (जून 2025) कि जिन नागरिकों/कॉर्पोरेंटों के प्रति कर की मांग की गई है, उन्हें उचित न्यायिक मंच पर जाने का अधिकार है। उचित प्रक्रिया को स्वीकार करते हुए, कर राजस्व का संग्रह, विशेष रूप से 'अविवादित' श्रेणी के अंतर्गत, उस सीमा तक उधारी को कम कर सकता था।

3.1.2 विवरण 2 : गैर-कर राजस्व का बकाया और 4 : परिसंपत्ति रजिस्टर के प्रकटीकरण में असंगतता

एफआरबीएम नियमावली के नियम 6 के तहत आवश्यक प्रकटीकरण के अनुसार, गैर-कर राजस्व (एनटीआर) के बकाया का विवरण प्राप्ति बजट में प्रदान किया जाता है। पिछले सीएजी प्रतिवेदन(नों)¹⁸ में विवरण डी-2 में ब्याज प्राप्तियों¹⁹ में बकाया के रूप में बताए गए वास्तविक आंकड़ों और उस वर्ष के लिए संघ सरकार के वित्त लेखों (विवरण 3 और 15) में बताए गए आंकड़ों के बीच अंतर की ओर इशारा किया गया है। 2023-24 में भी अंतर बना हुआ है और नीचे तालिका 3.3 में दिखाया गया है।

¹⁸ 2021 की प्रतिवेदन संख्या 6 (वित्तीय वर्ष 2017-19 के लिए), 2022 की प्रतिवेदन संख्या 18 (वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए) और 2022 की प्रतिवेदन संख्या 32 (वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए), 2024 की प्रतिवेदन संख्या 1 (वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए) और 2025 की प्रतिवेदन संख्या 3 (वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए)।

¹⁹ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार, वाणिज्यिक उपक्रम विभाग और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से ब्याज प्राप्तियों में बकाया।

तालिका 3.3: ब्याज प्राप्तियों के बकाया में असंगतता

(₹ करोड़ में)

ऋणी इकाई	जैसा कि डी2 में (प्राप्ति बजट 2025-26)	जैसा कि यूजीएफए के विवरण 3 में कहा गया है 2023-24	(स्तंभ 2 और 3 के बीच) भिन्नता
(1)	(2)	(3)	(4)
राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश की सरकार	1,627.85	4,935.61	3,307.76
सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रम	51,835.19	54,870.74	3,035.45

स्रोत: प्राप्ति बजट 2025-26 और वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए संघ सरकार वित्त लेखे।

हमने पाया कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए संघ सरकार के वित्त लेखे (यूजीएफए) को भारत के सीएजी द्वारा 10 दिसंबर 2024 को प्रमाणित किया गया था, जिसमें ब्याज के बकाया का विवरण, यूजीएफए के विवरण 15 खंड 2 के अंतर्गत समेकित किया गया था; और प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों द्वारा राज्यवार तैयार किया गया था, जबकि वित्त मंत्रालय के तहत केंद्रीय बजट सूचना प्रणाली (यूबीआईएस) की ऑनलाइन उपयोगिता में निहित डेटा मंत्रालय/अनुदान-वार समेकित किया गया था। इस प्रकार, डेटा के ये दो सेट एक सामान्य पैरामीटर यानी राज्यवार जानकारी की कमी के कारण मेल नहीं खा पाए। इस मुद्दे को सीएजी के पिछले प्रतिवेदनों²⁰ में भी उठाया गया था। हमने यह भी पाया कि लेखों को वित्त मंत्रालय के अंतर्गत लेखा महानियंत्रक (सीजीए) के कार्यालय में अंतिम रूप दिया गया था, जिसकी सीजीए द्वारा तैयार मासिक लेखों तक भी पहुँच है। इस प्रकार, मंत्रालय को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि यूबीआईएस में दर्ज डेटा, विशेष रूप से "राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकार" और "सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों" से फॉर्म डी-2 में लंबित ब्याज प्राप्तियां", यूजीएफए के अनुसार हैं। इस प्रकार यूजीएफए 2023-24 में बताए गए ब्याज प्राप्तियों के बकाया आंकड़ों में असंगतता है।

²⁰ वित्तीय वर्ष 2019-20, वित्तीय वर्ष 2020-21, वित्तीय वर्ष 2021-22 और वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए क्रमशः सीएजी की प्रतिवेदन संख्या 18 2022, 32 2022 और 01 2024 और 03 2025।

इसी तरह, विवरण डी4-परिसंपत्ति रजिस्टर में बताई गई वित्तीय परिसंपत्तियों (विदेशी सरकार, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से बकाया ऋण) की राशि, प्राप्त बजट 2025-26 की विवरण संख्या 1(ii) में निहित राशि से भिन्न है।

तालिका 3.4: वित्तीय परिसंपत्तियों (ऋण और अग्रिम) के आंकड़ों में असंगतता

(₹ लाख करोड़ में)

मद	प्राप्त बजट 2025-26 में डी-4 (परिसंपत्ति रजिस्टर (के अनुसार	प्राप्त बजट 2025-26 की विवरण संख्या 1(ii) और वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए यूजीएफए के अनुसार	अंतर
विदेशी सरकारों को ऋण	0.15	0.17	0.02
राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों को ऋण	0.05	6.23	6.18

स्रोत: प्राप्त बजट 2025-26 और वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए संघ सरकार वित्त लेखे।

इस असंगति को पिछले सीएजी प्रतिवेदनों²¹ में नियमित रूप से इंगित किया गया था। यह 2023-24 के दौरान भी जारी रहा, जबकि दोनों विवरण एक ही दस्तावेज़ (प्राप्त बजट) में शामिल थे।

मंत्रालय ने कहा (जून 2025) कि टिप्पणियों को नोट कर लिया गया है और वे डेटा की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालयों को पुनः सख्त निर्देश जारी करेंगे।

3.1.3 प्रकटीकरण विवरण 3 में असंगतता : सरकार द्वारा दी गई गारंटियां

एफआरबीएम नियम 6 के अंतर्गत निर्धारित प्रपत्र डी-3 में प्रकटीकरण विवरण, केंद्र सरकार द्वारा दी गई गारंटियों का विवरण प्रकट करता है, जिन्हें छह विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। यह जानकारी संघ सरकार वित्त लेखा (यूजीएफए) के विवरण 4 में निहित जानकारी के समान है। हालांकि, प्राप्त बजट 2025-26 (प्रपत्र डी-3) की यूजीएफए 2023-24 से संबंधित आंकड़ों की संवीक्षा करने पर, भिन्नता पाई गई, जैसा **अनुलग्नक 3.3** में दर्शाया गया है।

²¹ वित्तीय वर्ष 2019-20, वित्तीय वर्ष 2020-21, वित्तीय वर्ष 2021-22 और वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए क्रमशः सीएजी की प्रतिवेदन संख्या 18 2022, 32 2022 और 01 2024 और 03 2025।

चूंकि यूजीएफए 2023-24 को दिसंबर 2024 में संसद में पेश किया गया था, इसलिए फरवरी 2025 में रखे गए प्राप्ति बजट 2025-26 में इससे कोई भी विचलन, उचित स्पष्टीकरण के साथ प्राप्ति बजट में अंतर राशियों के उचित मिलान और उल्लेख के योग्य है।

मंत्रालय ने (जून 2025) बताया कि यूजीएफए प्रस्तुत किए जाने के बाद भी मंत्रालयों/विभागों द्वारा प्रस्तुत प्रासंगिक आंकड़े, प्राप्ति बजट 2025-26 में दर्शाए गए हैं। उन्होंने यह भी बताया कि यूजीएफए से मेल न खाने की स्थिति में, इसमें फुटनोट भी शामिल किए गए थे।

यद्यपि हम प्राप्ति बजट में यूजीएफए और प्राप्ति बजट के बीच विसंगतियों को स्पष्ट करने वाले फुटनोट्स को स्वीकार करते हैं, तथापि यूजीएफए में ही गारंटियों से संबंधित अद्यतित जानकारी को दर्शाने के लिए प्रयास किए जाने की आवश्यकता है।

3.2 एफआरबीएम अधिनियम के तहत अनिवार्य विवरणों में प्रमुख राजकोषीय संकेतकों के बीई आंकड़ों के प्रकटीकरण में भिन्नता

क. एफआरबीएम अधिनियम की धारा 7(1) के अनुसार, "वित्त मंत्रालय के प्रभारी मंत्री, छमाही आधार पर, बजट के संबंध में प्राप्तियों और व्यय की प्रवृत्ति की समीक्षा करेंगे और ऐसी समीक्षाओं के परिणामों को संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखेंगे"। इस प्रकार, सही बजट आंकड़ों का अनुमान यह निर्धारित करने में एक महत्वपूर्ण कारक है कि अपेक्षित अनुपालन प्राप्त किया गया था या नहीं।

वित्तीय वर्ष 2023-24 की पहली छमाही के अंत में अर्धवार्षिक समीक्षा (प्राप्तियों और व्यय की प्रवृत्ति) पर विवरण की समीक्षा करते समय यह पाया गया कि विवरण की तालिका 1 में दर्शाए गए बजट अनुमान 2023-24 के लिए प्रमुख राजकोषीय संकेतकों के आंकड़े वित्तीय वर्ष 2023-24 के वार्षिक वित्तीय विवरण में बताए गए आंकड़ों से भिन्न थे। देखी गई भिन्नताएं नीचे तालिका 3.5 में सारणीबद्ध हैं।

तालिका 3.5: एच1/ एच2 विवरणों और एफएस में प्रयुक्त प्रमुख राजकोषीय संकेतकों के बीई आंकड़ों में भिन्नता

क्रम. संख्या	विवरण	बजट अनुमान (बीई) (₹ करोड़ में)	
		वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए एच 1 और एच 2 के अनुसार	वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए एफएस के अनुसार
1	राजस्व प्राप्तियां (2+3)	26,32,281	29,80,001
2	कर राजस्व	23,30,631	23,39,411
3	गैर-कर राजस्व	3,01,650	6,40,590
4	पूंजीगत प्राप्तियां (5+6+7)	18,70,816	19,14,823
	गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियां (5+6)	84,000	1,09,250
5	ऋण की वसूली	23,000	48,250
6	अन्य प्राप्तियां	61,000	61,000
7	उधार और अन्य देयताएं	17,86,816	15,99,320
8	कुल प्राप्तियां (1+4)	45,03,097	48,94,284
9	राजस्व व्यय	35,02,136	38,50,444
10	ब्याज भुगतान	10,79,971	10,99,971
11	पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए अनुदान	3,69,988	-
12	पूंजीगत व्यय	10,00,961	8,38,127
13	कुल व्यय (9+12)	45,03,097	46,88,571
14	राजस्व घाटा (9-1)	8,69,855	8,70,443
15	प्रभावी राजस्व घाटा (14-11)	4,99,867	-
16	राजकोषीय घाटा {13-(1+5+6)}	17,86,816	15,99,320
17	प्राथमिक घाटा (16-10)	7,06,845	4,99,349

स्रोत: एच1 और एच2 वित्तीय वर्ष 2023-24 और एफएस वित्तीय वर्ष 2023-24।

चूंकि एच1 और एच2 विवरणों को एफआरबीएम अधिनियम, 2003 (अप्रैल 2018 में संशोधित) की धारा 7(1) के अनुसार संसद में रखा जाना आवश्यक है, एच1 और एच2 की तालिका 1 में दर्शाए गए प्रमुख राजकोषीय संकेतकों के आंकड़े (बीई) वार्षिक वित्तीय विवरण के अनुरूप होने चाहिए, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार तैयार किया जाता है।

मंत्रालय ने उत्तर दिया (जून 2025) कि प्रमुख राजकोषीय संकेतकों के लिए समाधान विवरण प्राप्त बजट के अनुलग्नक-3 और व्यय प्रोफाइल के विवरण 17 में प्रदान किया गया है।

हालांकि, एच1 और एच2 विवरण में इस संबंध में कोई विशिष्ट प्रकटीकरण नहीं किया गया, जिसे मंत्रालय द्वारा भविष्य के विवरणों में शामिल किया जा सकता है।

ख. एफआरबीएम अधिनियम, 2003 की धारा 3(1) के अनुसार केंद्र सरकार प्रत्येक वित्तीय वर्ष में संसद के दोनों सदनों के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण और अनुदानों की मांग के साथ मध्यम अवधि की राजकोषीय नीति सह राजकोषीय नीति रणनीति विवरण प्रस्तुत करेगी। नियम 4(ए) और नियम 5 के तहत एमटीएफपी का प्रारूप निर्धारित किया गया है, जिसके अनुसार निर्धारित राजकोषीय संकेतकों के तीन वर्षीय रोलिंग लक्ष्य प्रपत्र एफ-1 में दिए जाने चाहिए।

बजट 2023-24 के दौरान प्रस्तुत एमटीएफपी विवरण की समीक्षा करते समय, यह पाया गया कि एमटीएफपी विवरण में संदर्भित प्रमुख राजकोषीय संकेतकों के बजट अनुमान (बीई) आंकड़े वित्तीय वर्ष 2023-24 के वार्षिक वित्तीय विवरण में दिए गए आंकड़ों से भिन्न थे। पाई गई भिन्नता को नीचे तालिका 3.6 में सारणीबद्ध किया गया है।

तालिका 3.6: एमटीएफपी विवरण और एएफएस में प्रयुक्त प्रमुख राजकोषीय संकेतकों के बीई आंकड़ों में भिन्नता

(₹ लाख करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	बजट अनुमान (बीई)	
		वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए एमटीएफपी के अनुसार	वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए एएफएस के अनुसार
1	राजकोषीय घाटा	17.87	15.99
2	राजस्व घाटा	8.70	8.70
3	प्राथमिक घाटा	7.07	4.99
4	गैर-कर राजस्व	3.02	6.41

स्रोत: वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए एमटीएफपी और एएफएस विवरण।


चूंकि एमटीएफपी विवरण (एफआरबीएम नियम 2004 के नियम 4 और 5 के अनुसार तैयार) और एएफएस विवरण (संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत निर्धारित) दोनों एक ही बजट दस्तावेज़ में शामिल हैं, इसलिए एमटीएफपी में दर्शाए गए बजट अनुमानों के

आंकड़े वार्षिक वित्तीय विवरण के अनुरूप होने चाहिए। इसके अलावा, प्रमुख राजकोषीय संकेतकों के आंकड़ों (बीई) के मद-वार अनुरूपता न होने से, केंद्र सरकार के राजकोषीय संचालन में अपेक्षित पारदर्शिता और मध्यम अवधि के ढांचे में राजकोषीय नीति का संचालन प्रभावित होता दिखता है।

इसके अलावा, सरकारी दस्तावेजों में आंकड़ों में एकरूपता आदर्श होगी और सकल आंकड़ों को एफआरबीएम अधिनियम (एएफएस की तरह) के अनुसार उपयोग करने पर विचार किया जा सकता है, अन्यथा स्पष्टता के लिए इन विवरणों में एक विस्तृत नोट दिया जाना चाहिए।

नई दिल्ली

दिनांक: 05 अगस्त 2025



(खालिद बिन जमाल)


महानिदेशक लेखापरीक्षा

वित्त एवं संचार

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली

दिनांक: 06 अगस्त 2025



(के. संजय मूर्ति)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

अनुलग्नक

अनुलग्नक 1.1
(पैरा 1.1 देखें)

एफआरबीएम अधिनियम और नियमों के प्रावधानों का बाद के संशोधनों के साथ संक्षिप्त विवरण

(आंकड़े सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में)

राजकोषीय संकेतक	लक्ष्य विवरण	मुख्य अधिनियम/नियम	पहला संशोधन (2004 में)	दूसरा संशोधन (2012 में)	तीसरा संशोधन (2015 में)	चौथा संशोधन (2018 में)
1 राजस्व घाटा	लक्ष्य	शून्य	शून्य	2	2	कोई लक्ष्य नहीं
	वार्षिक कमी	0.5	0.5	0.6	0.4	
	वित्तीय वर्ष जिससे शुरुआत हुई	2004-05	2004-05	2013-14	2015-16	
	लक्ष्य मान्य है	31.03.08	31.03.09	31.03.15	31.03.18	
2 राजकोषीय घाटा	लक्ष्य	3	3	3	3	3
	वार्षिक कमी	0.3	0.3	0.5	0.4	0.1
	वित्तीय वर्ष जिससे शुरुआत हुई	2004-05	2004-05	2013-14	2015-16	2018-19
	लक्ष्य मान्य है	31.03.08	31.03.09	31.03.17	31.03.18	31.03.21
3 गारंटी	किसी भी वित्तीय वर्ष में सकल गारंटी सकल घरेलू उत्पाद के 0.5 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी, जो वित्तीय वर्ष 2004-05 से शुरू होगी।					किसी भी वित्तीय वर्ष में सीएफआई के सुरक्षाजमा पर सकल घरेलू उत्पाद के डेढ़ प्रतिशत से अधिक किसी भी ऋण के लिए कोई अतिरिक्त गारंटी नहीं

राजकोषीय संकेतक	लक्ष्य विवरण	मुख्य अधिनियम/नियम	पहला संशोधन (2004 में)	दूसरा संशोधन (2012 में)	तीसरा संशोधन (2015 में)	चौथा संशोधन (2018 में)
4	देयता/ ऋण	वर्ष 2004-05 के लिए सकल घरेलू उत्पाद के 9 प्रतिशत से अधिक अतिरिक्त देयताएं (वर्तमान विनिमय दर पर विदेशी ऋण सहित) ग्रहण नहीं करना तथा प्रत्येक आगामी वित्तीय वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद के 9 प्रतिशत की सीमा को सकल घरेलू उत्पाद के कम से कम एक प्रतिशत तक उत्तरोत्तर कम करना।				सामान्य सरकारी ऋण और केंद्र सरकार का ऋण वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंत तक क्रमशः सकल घरेलू उत्पाद के 60 प्रतिशत और 40 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।

अनुलग्नक 1.2

(पैरा 1.1 देखें)

वित्त मंत्रालय द्वारा मध्यावधि समीक्षा का परिणाम

(₹ लाख करोड़ में)

पैरामीटर	वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए लक्ष्य	वास्तविक
		वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान
गैर-ऋण प्राप्ति		
गैर-ऋण प्राप्ति (बीई: ₹ 27.16)	10.86	14.17
मध्यावधि बेंचमार्क (बीई के प्रतिशत के रूप में)	40 प्रतिशत से कम नहीं	52.17 प्रतिशत (कोई प्रतिकूल परिवर्तन नहीं)
राजस्व घाटा		
राजस्व घाटा (बीई: ₹ 8.70)	6.09	2.31
मध्यावधि बेंचमार्क (बीई के प्रतिशत के रूप में)	70 प्रतिशत से अधिक नहीं	26.55 प्रतिशत (कोई प्रतिकूल परिवर्तन नहीं)
राजकोषीय घाटा		
राजकोषीय घाटा (बीई: ₹ 17.87)	12.51	7.02
मध्यावधि बेंचमार्क (बीई के प्रतिशत के रूप में)	70 प्रतिशत से अधिक नहीं	39.28 प्रतिशत (कोई प्रतिकूल परिवर्तन नहीं)

स्रोत: वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए एच1 विवरण।

अनुलग्नक 2.1
(पैरा 2.1.1 देखें)

केंद्र सरकार के ऋण का बकाया

(₹ लाख करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	आंतरिक ऋण	वर्तमान विनिमय दर पर विदेशी ऋण	लोक लेखा देयता	अतिरिक्त बजटीय संसाधन ²²	नकद शेष ²³	केंद्र सरकार का ऋण	वर्तमान मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद	सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में केंद्र सरकार का ऋण
	1	2	3	4	5	6 (1+2+3+4-5)	7	8 (6/7x100)
2019-20	80.20	5.44	18.79	1.12	0.48	105.07	201.04	52.26
2020-21	99.10	6.15	17.61	1.39	2.38	121.87	198.54	61.38
2021-22	114.62	6.58	16.44	1.39	0.38	138.65	235.97	58.76
2022-23	130.74	7.48	16.57	1.38	0.04	156.13	268.90	58.06
2023-24	146.98	7.96	17.14	1.38	1.75	171.71	301.23	57.00

स्रोत: आंतरिक ऋण, विदेशी ऋण और लोक लेखा देनदारियों के लिए संबंधित वर्षों के यूजीएफए को देखें। अतिरिक्त बजटीय संसाधन (सकल) वित्तीय वर्ष 2021-22 से वित्तीय वर्ष 2025-26 तक के बजट दस्तावेजों में व्यय प्रोफाइल के विवरण 27 के अनुसार हैं। सकल घरेलू उत्पाद आंकड़ों के लिए राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) की 28 फरवरी 2025 की प्रेस विज्ञप्ति देखें।

²² ₹1.38 लाख करोड़ की यह राशि व्यय प्रोफाइल 2025-26 और व्यय प्रोफाइल 2024-25 के विवरण 27 के अनुसार है, जिसे पहले मंत्रालय द्वारा स्वीकार की गई कुछ अनजानी त्रुटि के कारण व्यय प्रोफाइल 2023-24 में ₹1.39 लाख करोड़ के रूप में दिखाया गया था।

²³ वित्तीय वर्ष 2019-20 से वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए नकद शेष के आंकड़े में संघ सरकार वित्त लेखों के एमएच-8673 (नकद शेष निवेश खाता) और एमएच-8999 (नकद शेष) शामिल हैं।

अनुलग्नक 2.2
(पैरा 2.3 देखें)
गारंटी का विवरण

(₹ लाख करोड़ में)

क्रम सं.	घटक	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
1	वर्ष के दौरान गारंटीकृत अधिकतम राशि	5.10	5.34	5.93	5.80	3.59
2	वर्ष की शुरुआत में बकाया	4.50	4.70	4.98	5.20	3.18
3	वर्ष के दौरान वृद्धि	0.61	0.64	0.96	0.61	0.41
4	विलोपन (लागू किए गए के अलावा)	0.44	0.36	0.72	2.61	0.25
5	वर्ष के दौरान आवेदित	0.00	0.00	0.02	0.05	0.04
6	समग्र गारंटी [3-(4+5)]	0.17	0.28	0.22	-2.05	0.12
7	वर्ष के अंत में बकाया	4.67	4.98	5.19	3.14	3.31
8	सकल घरेलू उत्पाद	201.04	198.54	235.97	268.90	301.23
9	वर्ष के दौरान सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में गारंटी की अधिकतम राशि	2.54	2.69	2.51	2.16	1.19
10	सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में अतिरिक्त गारंटी	0.30	0.32	0.41	0.23	0.14
11	वर्ष के अंत में सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में बकाया	2.32	2.51	2.20	1.17	1.10

स्रोत: संबंधित वर्षों के डी3।

अनुलग्नक 2.3
(पैरा 2.4 ग देखें)

राजस्व प्राप्ति के अनुमान की तुलना में वास्तविक का विश्लेषण

(₹ लाख करोड़ में)

मद	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक	भिन्नता
				(वास्तविक की तुलना में बजट अनुमान) (प्रतिशत में)
सकल कर राजस्व	33.61	34.37	34.66	3.12
वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी)	9.60	9.61	9.63	0.31
आय और व्यय पर कर	17.96	19.13	19.22	7.02
संपत्ति और पूंजीगत लेनदेन पर कर	0.28	0.32	0.34	21.43
वस्तु एवं सेवा कर के अलावा अन्य वस्तुओं और सेवाओं पर कर	5.73	5.27	5.47	-4.89
(क) कर राजस्व	23.39	23.33	23.36	-0.13
(ख) गैर-कर राजस्व	6.40	7.26	7.52	17.50
(क+ख) राजस्व प्राप्तियां	29.80	30.59	30.88	3.62

स्रोत: वास्तविक के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए बजट अनुमान और संशोधित अनुमान के लिए वार्षिक वित्तीय विवरण 2024-25 तथा यूजीएफए।

अनुलग्नक 2.4
(पैरा 2.4 घ देखें)

राजस्व संवितरण के अनुमानों की तुलना में वास्तविक का विश्लेषण

(₹ करोड़ में)

मद	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक	भिन्नता (प्रतिशत में)	भिन्नता (प्रतिशत में)
				(वास्तविक की तुलना में बजट अनुमान)	(वास्तविक की तुलना में संशोधित अनुमान)
(क) सामान्य सेवाएं	18,35,407.06	18,78,770.49	18,78,932.55	2.37	0.01
(क) राज्य के अंग	9,547.18	13,805.41	13,458.28	40.97	-2.51
संसद/राज्य/केंद्र शासित प्रदेश विधानमंडल	1,260.86	1,166.05	1,082.48	-14.15	-7.17
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति/ राज्यपाल, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक	98.63	103.94	112.21	13.77	7.96
मंत्री परिषद्	964.42	1,247.45	876.13	-9.15	-29.77
न्याय प्रशासन	924.34	1,961.22	2,097.86	126.96	6.97
चुनाव	629.00	3,566.69	3,545.29	463.64	-0.60
लेखापरीक्षा	5,669.93	5,760.06	5,744.31	1.31	-0.27
(ख) राजकोषीय सेवाएं	49,147.25	48,958.01	47,147.89	-4.07	-3.70
(ग) ब्याज भुगतान और ऋण अदायगी	10,99,971.00	10,92,540.65	11,02,650.17	0.24	0.93
(घ) प्रशासनिक सेवाएं	1,40,441.00	1,43,563.91	1,44,395.31	2.82	0.58
(ड.) पेंशन और विविध सामान्य सेवाएं	2,59,340.38	2,74,063.29	2,73,542.43	5.48	-0.19
(च) रक्षा सेवाएं	2,76,960.25	3,05,839.22	2,97,738.47	7.50	-2.65
(ख) सामाजिक सेवाएं	2,20,203.43	2,42,247.41	2,53,336.44	15.05	4.58
(क) शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	59,908.41	86,078.27	90,335.39	50.79	4.95
(ख) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	40,127.86	38,182.63	39,750.22	-0.94	4.11
(ग) जल आपूर्ति, स्वच्छता, आवासन और शहरी विकास	72,652.40	72,464.60	80,511.64	10.82	11.10

2025 की प्रतिवेदन संख्या 19

मद	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक	भिन्नता (प्रतिशत में)	भिन्नता (प्रतिशत में)
				(वास्तविक की तुलना में बजट अनुमान)	(वास्तविक की तुलना में संशोधित अनुमान)
(घ)सूचना और प्रसारण	4,412.11	4,149.61	4,144.34	-6.07	-0.13
(ड.) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	9,336.48	5,780.47	3,557.84	-61.89	-38.45
(च) श्रम और श्रम कल्याण	13,747.51	13,105.36	13,242.73	-3.67	1.05
(छ)सामाजिक कल्याण और पोषण	5,406.46	4,979.80	15,109.39	179.47	203.41
(ज)अन्य	14,612.20	17,506.67	6,684.89	-54.25	-61.82
(ग) आर्थिक सेवाएं	11,12,864.15	11,65,117.20	11,04,680.86	-0.74	-5.19
(क)कृषि एवं संबद्ध गतिविधियां	3,54,180.98	3,87,189.36	3,93,865.62	11.20	1.72
(ख) ग्रामीण विकास	64,452.52	90,383.48	94,109.95	46.01	4.12
(ग)विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	73,796.23	69,008.83	2,146.21	-97.09	-96.89
(घ) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	10,215.76	10,427.76	10,382.10	1.63	-0.44
(ड.) ऊर्जा	36,476.56	42,170.73	46,568.23	27.67	10.43
(च) उद्योग और खनिज	1,87,423.73	1,82,268.79	1,77,727.87	-5.17	-2.49
(छ) परिवहन	2,74,651.40	2,81,517.29	2,81,166.04	2.37	-0.12
(ज)संचार	51,620.01	43,614.63	44,064.84	-14.64	1.03
(झ) विज्ञान प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	36,017.06	32,079.37	29,880.33	-17.04	-6.85
(ज.) सामान्य आर्थिक सेवाएं	24,029.90	26,456.96	24,769.67	3.08	-6.38
(घ) अनुदान सहायता और योगदान	6,81,969.08	6,14,068.86	6,17,132.36	-9.51	0.50
राजस्व व्यय (क+ख+ग+घ)	38,50,443.72	39,00,203.96	38,54,082.21	0.09	-1.18

स्रोत: वास्तविक के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए वार्षिक वित्तीय विवरण 2024-25 और संशोधित अनुमान 2023-24 तथा यूजीएफए।

अनुलग्नक 2.5

(पैरा 2.4 ड. देखें)

फोकस क्षेत्र पर व्यय के अनुमान की तुलना में वास्तविक का विश्लेषण
(वित्तीय वर्ष 2023-24)

(₹ करोड़ में)

क्षेत्र/वर्ष		बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक	भिन्नता (वास्तविक की तुलना में बजट अनुमान) (प्रतिशत में)
कृषि	आय	1,24,982.96	2,26,218.23	2,13,050.75	70.46
	पूंजी	52.83	97.68	43.97	-16.77
	कुल	1,25,035.79	2,26,315.91	2,13,094.72	70.43
शिक्षा	आय	1,54,886.40	1,79,705.11	1,65,258.81	6.70
	पूंजी	13.07	13.17	7.77	-40.55
	कुल	1,54,899.47	1,79,718.28	1,65,266.58	6.69
स्वास्थ्य	आय	1,02,361.86	91,816.02	96,391.93	-5.83
	पूंजी	5,301.14	2,710.16	2,026.56	-61.77
	कुल	1,07,663.00	94,526.18	98,418.49	-8.59
पेयजल और स्वच्छता	आय	96,960.01	1,00,685.12	99,983.10	3.12
	पूंजी	381.68	329.53	231.16	-39.44
	कुल	97,341.69	1,01,014.65	1,00,214.26	2.95
ग्रामीण विकास	आय	2,38,959.45	2,77,702.15	2,68,870.57	12.52
	पूंजी	4.78	4.90	3.32	-30.54
	कुल	2,38,964.23	2,77,707.05	2,68,873.89	12.52

स्रोत: बजट अनुमान और संशोधित अनुमान 2023-24 के लिए अनुदान मांगों 2024-25 का सारांश, वास्तविक 2023-24 के लिए अनुदान मांगों 2025-26 का सारांश।

अनुलग्नक 3.1

(पैरा 3.1.1 देखें)

कर राजस्व जुटाया गया लेकिन वसूल नहीं किया गया

(₹ लाख करोड़ में)

		वित्तीय वर्ष 2022-23	वित्तीय वर्ष 2023-24	भिन्नता
सकल कर राजस्व		30.54	34.66	
कर राजस्व जुटाया गया लेकिन वसूल नहीं किया गया	कुल	21.30	31.11	9.81
	'विवादित'	12.22	15.40	3.18
	'अविवादित'	9.08	15.71	6.63
कर राजस्व जुटाया गया, लेकिन उस वर्ष के लिए कुल संग्रहित कर के प्रतिशत के रूप में प्राप्त नहीं किया गया।		69.74 प्रतिशत	89.76 प्रतिशत	

स्रोत: प्रकटीकरण विवरण डी1 - जुटाए गए लेकिन वसूल नहीं किए गए कर राजस्व, जो क्रमशः वित्तीय वर्ष 2022-23 और वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए प्राप्त बजट 2024-25 और 2025-26 में शामिल हैं।

अनुलग्नक 3.2

(पैरा 3.1.1 देखें)

कर राजस्व जुटाया गया लेकिन वसूल नहीं किया गया

(₹ लाख करोड़ में)

अवधि	वित्तीय वर्ष 2022-23		वित्तीय वर्ष 2023-24	
	विवादित राशियां	अविवादित राशियां	विवादित राशियां	अविवादित राशियां
1 वर्ष से अधिक लेकिन 2 वर्ष से कम	6.59	4.23	4.28	4.70
2 वर्ष से अधिक लेकिन 5 वर्ष से कम	4.20	2.13	7.63	5.65
5 वर्ष से अधिक लेकिन 10 वर्ष से कम	1.05	1.29	3.05	2.92
10 वर्षों से अधिक	0.38	1.43	0.44	2.44
कुल	12.22	9.08	15.40	15.71
कुल योग (विवादित राशि + अविवादित राशि)	21.30		31.11	

स्रोत: प्रकटीकरण विवरण डी1 - जुटाए गए लेकिन वसूल नहीं किए गए कर राजस्व, जो क्रमशः वित्तीय वर्ष 2022-23 और वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए प्राप्त बजट 2024-25 और 2025-26 में शामिल हैं।

अनुलग्नक 3.3

(पैरा संख्या 3.1.3 देखें)

अनुमोदित यूजीएफए 2023-24 के विवरण 4 के संबंध में सरकार द्वारा दी गई गारंटियों का प्रकटीकरण

(₹ करोड़ में)

मंत्रालय/विभाग का नाम	वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए यूजीएफए के अनुसार	प्राप्ति बजट 2025-26 के अनुसार	भिन्नता
<u>वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग</u>			
श्रेणी I ²⁴ गारंटी			
वर्ष के दौरान गारंटीकृत अधिकतम राशि	14,009.21 (12)	14,144.36 (10)	135.15
वर्ष की शुरुआत में बकाया	13,167.40 (12)	13,302.55 (10)	135.15
वर्ष के अंत में बकाया	10,835.42 (11)	10,970.57 (7)	135.15
<u>वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग</u>			
श्रेणी III ²⁵ गारंटी			
वर्ष के दौरान गारंटीकृत अधिकतम राशि	86,431.74 (342)	86,571.69 (365)	139.95
वर्ष की शुरुआत में बकाया	67,593.93 (325)	67,733.88 (350)	139.95
वर्ष के दौरान लागू किए गए के अलावा विलोपन	7,850.39 (74)	7,851.70 (74)	1.31
वर्ष के अंत में बकाया	73,951.33 (268)	75,157.46 (291)	1,206.13
<u>नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय</u>			
श्रेणी III गारंटी			
वर्ष के दौरान गारंटीकृत अधिकतम राशि	14,130.45 (17)	12,884.29 (17)	-1,246.16

²⁴ भारतीय रिजर्व बैंक, अन्य बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को मूलधन की अदायगी और ब्याज के भुगतान, नकद ऋण सुविधा, मौसमी कृषि कार्यों के वित्तपोषण और/या कम्पनियों, निगमों, सहकारी समितियों और बैंकों को कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराने के लिए दी गई गारंटी।

²⁵ भारत सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं, विदेशी ऋणदाता एजेंसियों, विदेशी सरकारों, ठेकेदारों, आपूर्तिकर्ताओं, परामर्शदाताओं आदि के साथ किए गए समझौतों के अनुसरण में दी गई गारंटियां, मूलधन, ब्याज और/या ऋण आदि पर प्रतिबद्धता शुल्क की अदायगी और/या सामग्री और उपकरणों की आपूर्ति के विरुद्ध भुगतान के लिए दी गई गारंटियां।

मंत्रालय/विभाग का नाम	वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए यूजीएफए के अनुसार	प्राप्ति बजट 2025-26 के अनुसार	भिन्नता
वर्ष के दौरान वृद्धि	1,751.49 (1)	505.33 (1)	-1,246.16
वर्ष के अंत में बकाया	13,389.50 (16)	12,143.34 (16)	-1,246.16
<u>रेल मंत्रालय</u>			
श्रेणी III गारंटी			
गारंटी कमीशन या शुल्क प्राप्य	107.65	114.87	7.22
गारंटी कमीशन या प्राप्त शुल्क	107.65	114.87	7.22

कोष्ठक में दिए गए आंकड़े गारंटियों की संख्या दर्शाते हैं।

शब्दावली

शब्दावली

वार्षिक वित्तीय विवरण (बजट)	संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में संसद के दोनों सदनों के समक्ष उस वर्ष के लिए भारत सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण प्रस्तुत करेंगे, जिसे "वार्षिक वित्तीय विवरण" कहा जाता है। प्राप्तियों और व्यय को तीन भागों में दिखाया जाता है जिसमें सरकारी लेखे रखे जाते हैं, अर्थात् (i) समेकित निधि, (ii) आकस्मिकता निधि, और (iii) लोक लेखा।
बजट पर एक नज़र	यह दस्तावेज़ कर राजस्व, अन्य प्राप्तियों और केंद्र सरकार द्वारा राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सरकारों को हस्तांतरित संसाधनों के विस्तृत विवरण के साथ-साथ प्राप्तियों और संवितरणों को संक्षेप में दर्शाता है। यह दस्तावेज़ सरकार के घाटे को भी दर्शाता है।
भारत की समेकित निधि	भारत सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, राजकोषीय बिल जारी करके जुटाए गए सभी ऋण, आंतरिक और विदेशी ऋण तथा ऋण की अदायगी में सरकार द्वारा प्राप्त सभी धनराशियां संविधान के अनुच्छेद 266 (1) के अंतर्गत स्थापित "भारत की समेकित निधि" नामक एक समेकित निधि का निर्माण करेंगी।
लोक लेखा	भारत सरकार द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त समेकित निधि में जमा किए गए धन के अलावा अन्य सभी लोक निधि संविधान के अनुच्छेद 266 (2) के अनुसार भारत के लोक लेखा में जमा किए जाते हैं। ये वे धन हैं जिनके संबंध में सरकार बैंकर की तरह काम करती है।
वित्त लेखा	वित्त लेखे प्राप्तियों और संवितरणों के लेखों को राजस्व और पूंजीगत लेखों द्वारा प्रकटित वित्तीय परिणामों, लोक ऋण के लेखों तथा लेखों में दर्ज शेषों से गणना की गई देनदारियों और परिसंपत्तियों के साथ प्रस्तुत करते हैं।
राजकोषीय नीति	किसी सरकार की राजकोषीय नीति का संबंध सरकारी राजस्व बढ़ाने और सरकारी व्यय करने से होता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वित्तीय और संसाधन प्रबंधन जिम्मेदारियों का निर्वहन कितनी अच्छी तरह किया गया है।
सकल घरेलू उत्पाद	सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) किसी देश की सीमाओं के भीतर विशिष्ट समय अवधि में उत्पादित सभी तैयार वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य है, जिसकी गणना आमतौर पर वार्षिक आधार पर की जाती है। इसमें सभी निजी और सार्वजनिक उपभोग, सरकार के व्यय, निवेश और निर्यात घटाए गए आयात शामिल हैं जो किसी निर्धारित क्षेत्र में होते हैं।

	सकल घरेलू उत्पाद को निर्दिष्ट आधार वर्ष के संदर्भ में स्थिर कीमतों पर और वर्तमान कीमतों पर भी काम किया जाता है (जिसमें मुद्रास्फीति या समग्र मूल्य स्तर में वृद्धि के कारण कीमतों में परिवर्तन शामिल हैं)।
गारंटी	संविधान का अनुच्छेद 292 संघ की कार्यपालिका शक्ति को भारत की संचित निधि की सुरक्षा पर ऐसी सीमाओं के भीतर, यदि कोई हो, गारंटी देने तक विस्तारित करता है, जैसा कि संसद द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।
राजस्व घाटा	राजस्व प्राप्तियों की तुलना में राजस्व व्यय का आधिक्य।
राजस्व व्यय	रखरखाव, मरम्मत, रखरखाव और संचालन व्यय पर शुल्क, जो परिसंपत्तियों को चालू हालत में बनाए रखने के लिए आवश्यक हैं और संगठन के दिन-प्रतिदिन के संचालन के लिए किए जाने वाले अन्य सभी व्यय, जिसमें स्थापना और प्रशासनिक व्यय शामिल हैं, राजस्व व्यय के रूप में वर्गीकृत किए जाते हैं। राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकार और अन्य संस्थाओं को दिए गए अनुदान को भी राजस्व व्यय के रूप में माना जाता है, भले ही कुछ अनुदान पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए हों।
राजस्व प्राप्तियां	इनमें सरकार द्वारा लगाए गए कर और शुल्क की आय, सरकार द्वारा किए गए निवेशों पर ब्याज और लाभांश, सरकार द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के लिए शुल्क और अन्य प्राप्तियां शामिल हैं।
प्रभावी राजस्व घाटा	प्रभावी राजस्व घाटा राजस्व घाटे और पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए अनुदान के बीच का भिन्नता है। इसे सरकार के चालू व्यय (राजस्व लेखे पर) और राजस्व प्राप्तियों में से पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए अनुदान को घटाकर प्राप्त भिन्नता के रूप में समझा जा सकता है, जिसे राजस्व व्यय के रूप में दर्ज किया जाता है।
पूंजीगत व्यय	पूंजीगत प्रकृति के व्यय को मोटे तौर पर ऐसे व्यय के रूप में परिभाषित किया जाता है जो या तो भौतिक और स्थायी प्रकृति की ठोस परिसंपत्तियों को बढ़ाने या आवर्ती देयताओं को कम करने के उद्देश्य से किया जाता है।
पूंजीगत प्राप्ति	पूंजीगत प्राप्ति में सरकार द्वारा उठाए गए ऋण, भारतीय रिजर्व बैंक से उधार और विदेशी सरकारों/संस्थाओं से लिए गए ऋण शामिल हैं। इसमें सरकार द्वारा दिए गए ऋणों की वसूली और सरकारी परिसंपत्तियों की बिक्री से प्राप्त आय भी शामिल है, जिसमें पीएसयू में सरकारी इक्विटी के विनिवेश से प्राप्त आय भी शामिल है।

राजकोषीय घाटा	एक वित्तीय वर्ष के दौरान भारत की समेकित निधि से ऋण की चुकौती को छोड़कर कुल संवितरण का ऋण प्राप्तियों को छोड़कर निधि में कुल प्राप्तियों पर आधिक्य।
विदेशी ऋण	सरकार द्वारा विदेशी सरकारों और विदेशी वित्तीय संस्थाओं से लिया गया द्विपक्षीय और बहुपक्षीय ऋण, अधिकतर विदेशी मुद्रा में।
आंतरिक ऋण	आंतरिक ऋण में भारत में लिए गए ऋण शामिल हैं। यह भारत के समेकित कोष में लिए गए और जमा किए गए ऋणों तक ही सीमित है।
ऋण और अग्रिम	इसमें संघ सरकार द्वारा राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सरकारों, विदेशी सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, सरकारी कर्मचारियों आदि को दिए गए ऋण और अग्रिम शामिल हैं।
लोक ऋण	भारत की समेकित निधि में आंतरिक और बाह्य स्रोतों से लिए गए सरकारी ऋण को लोक ऋण के रूप में परिभाषित किया जाता है।

© भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in

<https://cag.gov.in/pt/delhi/hi/page-pt-delhi-union-reports>

